खण्ड-176, अंक-5
मंगलवार, 23 श्रावण, शक संवत् 1878
(14 अगस्त, 1956 ई0)

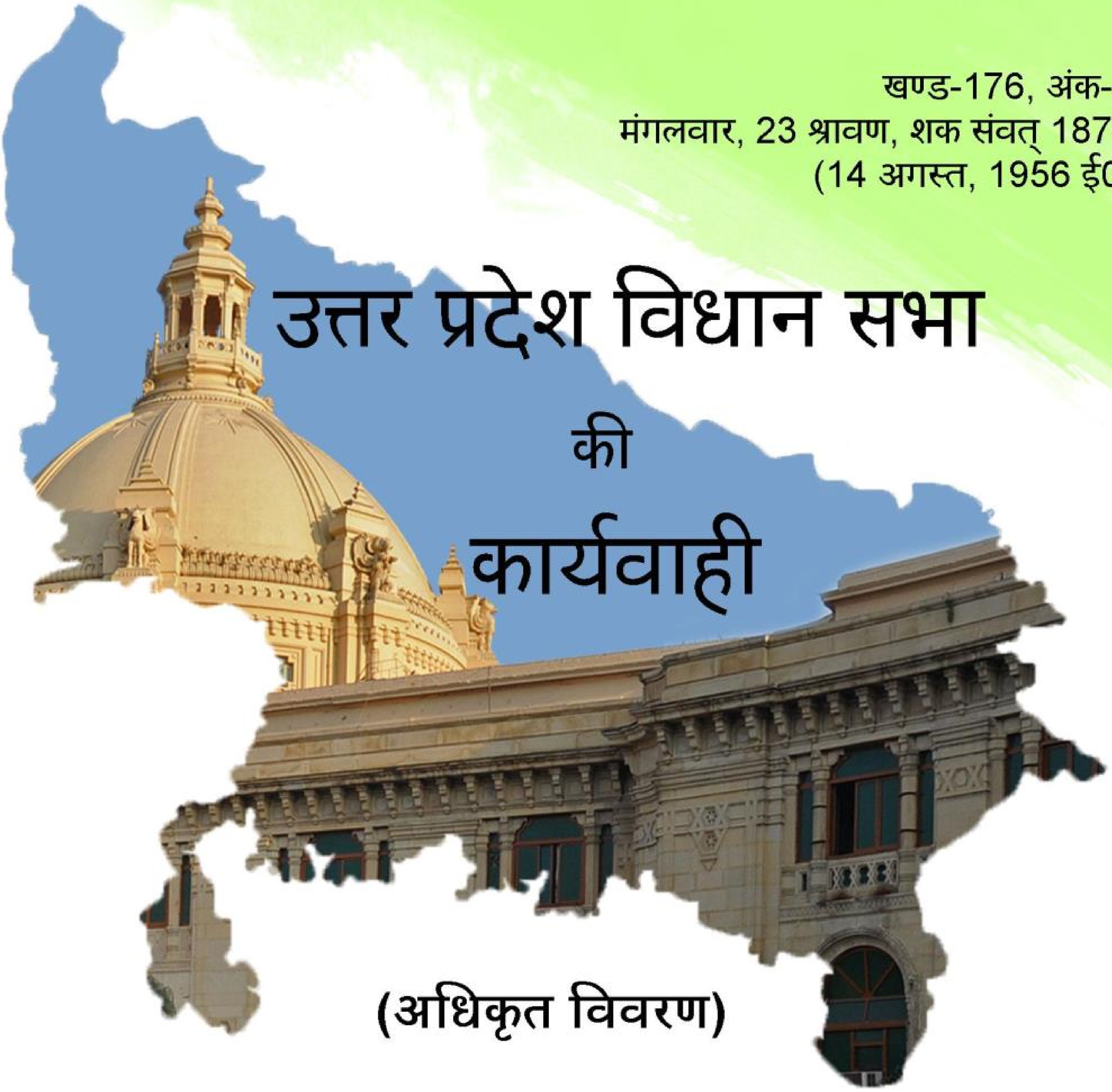

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 176 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १४ अगस्त, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५४)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अलीज़हीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज़ रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरु, श्री
कल्याणराम, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशी प्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पाण्डेय, श्री

गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्शदास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेज प्रताप सिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
पाती राम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेव सिंह, श्री (गोंडा)

बलदेव सिंह, श्री (बनारस)
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती दीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महवीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन लाल वर्मा, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
राम प्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री

रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिवचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सईद जहां मखकी शेरवानी, श्रीमती
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री

सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्रीदीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवती नन्दनबहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १४ अगस्त, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले की टाउन एरिया सरायमीर के चेयरमैन का प्रार्थना-पत्र

**१—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले की टाउन एरिया सरायमीर के चेयरमैन ने टाउन एरिया के टैक्स के लगाने के सम्बन्ध में कोई आवेदन-पत्र भेजा है ?

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—जी हां।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया सरायमीर के चेयरमैन का प्रार्थना-पत्र सरकार के पास कब आया था ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह एक दफा नवम्बर, सन् १९५५ में आया और फिर उसके बाद अप्रैल, सन् १९५६ में आया।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५५ में जो प्रार्थना-पत्र वहां के टाउन एरिया के चेयरमैन का आया था उसका उत्तर अब तक सरकार द्वारा क्यों नहीं दिया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह जो प्रार्थना-पत्र आया था उसमें कुछ कानूनी प्रश्न थे और जब तक कानूनी सलाह उनके बारे में नहीं ली जा सकती थी तब तक जवाब नहीं दिया जा सकता था। अब कानूनी सलाह ले ली गई है और उसका उत्तर दे दिया जायगा।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह जो दोनों प्रार्थना-पत्र आये हैं उनमें क्या ख्वाहिश जाहिर की गई है ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने यह तो बता दिया कि टैक्स लगाने के सम्बन्ध में वे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि टाउन एरिया में, टैक्स लगाने के आदेश न पहुंचने के कारण हर प्रकार की गन्दगी फैली हुई है ?

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ श्री रामसुन्दर पांडेय ने पूछा।

श्री कैलाश प्रकाश--कठिनाइयां जरूर होंगी लेकिन टाउन एरिया को तो टैक्स लगाने का हक है, यहां पर प्रश्न यह नहीं था कि टैक्स नहीं लगा सकते, बल्कि प्रश्न यह था कि टाउन एरिया ने टैक्स लगाया, नियमों में तिथियां दी हुई हैं उन तिथियों में टैक्स लगाया जाना चाहिये था लेकिन टाउन एरिया ने टैक्स उन तिथियों में नहीं लगाया, उसका मुकदमा अदालत में गया और इसी वास्ते वहां से वह रद्द हो गया। इसलिये टैक्स तो टाउन एरिया लगा ही सकते हैं।

श्री उमाशंकर--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तब तक जब तक कि टैक्स वसूल नहीं हुआ है या नहीं लगाया है तब तक उसके खर्च के लिए सरकार ने उसको कोई इमदाद दी है ?

श्री कैलाशप्रकाश--इमदाद देने का जो टाउन एरियाज को तरीका है उसके अनुसार वह दी जाती है और मैं निवेदन कर चुका हूं कि टैक्स तो उन्होंने लगाया था, लेकिन विधि के अनुसार नहीं लगाया इस वजह से उसको निरस्त कर दिया गया है।

तारांकित प्रश्न

*१--**श्री विश्रामराय** (अनुपस्थित)--[११ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

इलाहाबाद में चुंगी वापसी का मामला

*२--**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि नैनी, जिला इलाहाबाद नगर के चुंगी वापसी के (शैडूल) रेट जिसको वहाँ की नगरपालिका ने जनता के आपत्ति के लिये समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराये थे आपत्ति सहित वहां की नगरपालिका ने सरकार के पास भेज दिये हैं ?

न्याय मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)--नैनी में नगरपालिका नहीं है और न वहां से कोई चुंगी प्रस्ताव सरकार के पास आये हैं।

*३--**श्री कल्याणचन्द मोहिले**--यदि हां, तो क्या सरकार उन आपत्तियों पर अपने विचार सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री सैयदअली जहीर--प्रश्न नहीं उठता।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार बतायेगी कि यह इलाहाबाद नगर की चुंगी वापसी का मामला सरकार के विचाराधीन बहुत दिनों से है, कब तक सरकार यह मामला तय करने जा रही है ?

श्री सैयद अली जहीर--इलाहाबाद का तो आपने सवाल नहीं पूछा, नैनी, जिला इलाहाबाद का पूछा था और मैंने अर्ज किया कि वहां तो कोई नगरपालिका है ही नहीं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--श्रीमन्, प्रश्न इलाहाबाद नगरपालिका के बारे में लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न तो यह नहीं था। नैनी, जिला इलाहाबाद के लिये था। उससे यह पूरक प्रश्न उठता नहीं है।

बाढ़ क्षेत्रों में स्कूलों और सड़कों की मरम्मत के लिए आजमगढ़ जिला बोर्ड को सहायता

*४--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या सरकार १८-१०-५५ के प्रश्न संख्या ६५ और ६६ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेगी कि ३०,७३५ रु० के अलावा शेष रुपये किन-किन तहसीलों में किन-किन कामों में व्यय हुआ ? क्या वे क्षेत्र बाढ़पीड़ित हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--७५,००० रु० के अनुदान में से शेष ४४,२६५ रु० आजमगढ़ जिले की सदर, लालगंज, मोहम्मदाबाद, गोहना और फूलपुर तहसीलों में व्यय हुआ है। जिन-जिन कामों पर यह व्यय किया गया है उनकी सूची संलग्न है।

ये क्षेत्र बाढ़पीड़ित हैं या नहीं, इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं है। सूचना प्राप्त होने पर सदस्य महोदय को भेज दी जायगी।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३५८ पर।)

*५--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या यह सही है कि घोसी तहसील के कार्य विवरण नं० ६ का व्यय वित्तीय वर्ष १९५४-५५ में नहीं हुआ था तथा वह पुल वित्तीय वर्ष १९५३-५४ में बन गया था?

श्री कैलाशप्रकाश--जी नहीं। घोसी तहसील के कार्य विवरण संख्या ६ का व्यय वित्तीय वर्ष १९५४-५५ में हुआ था तथा संबंधित पुल वित्तीय वर्ष १९५३-५४ में नहीं बना था।

*६--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या यह सही है कि घोसी तहसील के कार्य विवरण नं० ७ और ९ बाढ़पीड़ित क्षेत्र में नहीं है? यदि हां, तो उस पर रुपया व्यय क्यों किया गया?

श्री कैलाशप्रकाश--जी नहीं। ये बाढ़पीड़ित क्षेत्र हैं। प्रश्न पैदा नहीं होता।

आजमगढ़ जिले में ईश्वरपुर ग्राम को बाढ़ से बचाने के कार्य

*७--**श्री विश्रामराय** (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम ईश्वरपुर रानी सराय से १ मील दूर पश्चिम में रेलवे लाइन के पास पानी के निकास न होने से ग्राम डूब जाया करता है?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)--ईश्वरपुर ग्राम, आजमगढ़, शाहगंज सड़क के किनारे पक्की सड़क तथा रेलवे लाइन के मध्य स्थित है। इस ग्राम के निकट एक नाला है। जिसके द्वारा इस क्षेत्र का बाढ़ का जल बह कर कुंवर नदी में होता हुआ टोंस नदी में जा गिरता है। यह ग्राम कुछ निचले भाग में स्थित है किन्तु साधारण बाढ़ में इसमें जल एकत्रित नहीं होता है। केवल १९५३ व १९५५ में टोंस नदी की असाधारण बाढ़ में ही यह ग्राम डूबा था। अन्यथा साधारण बाढ़ से इस ग्राम को कोई क्षति नहीं होती।

*८--**श्री विश्रामराय** (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि इसके निवासी कई वर्ष से प्रान्तीय सरकार जिलाधीश और नियोजन अधिकारी आजमगढ़ के पास प्रार्थना-पत्र भेज रहे हैं? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री राममूर्ति--ग्राम निवासियों ने इसके लिये प्रार्थना-पत्र दिया और उसपर निम्नांकित कार्यवाही हुई:

(१) जिला नियोजन समिति द्वारा ईश्वरपुर ग्राम में एक पुलिया स्वीकृत हुई, जिसका निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है। यह पुलिया शीघ्र ही पूरी हो जाएगी तब निवासियों को यातायात का कष्ट न रहेगा,

(२) रेलवे विभाग के पुल नं० ८-ए को जो ईश्वरपुर गांव में पड़ता है, चौड़ा करने के सम्बन्ध में जनरल मैनेजर, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर से पत्र-व्यवहार किया जा रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे विभाग के जनरल मैनेजर से जो पत्र-व्यवहार हो रहा है उसका निर्णय कब तक हो जाएगा?

नोट--तारांकित प्रश्न ७-८ श्री रामसुन्दर पांडेय ने पूछे।

श्री राममूर्ति--उन्होंने अपने उत्तर में कुछ ऐसा आश्वासन दिया है कि बरसात के खत्म होने के बाद वह उस पुल को चालू करने की बात सोच रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्लानिंग विभाग द्वारा जो पुल निर्माण कराया जा रहा है उसकी लागत क्या है?

श्री राममूर्ति--उसके आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं, सूचना चाहिये।

सीवर योजना में सम्मिलित नगर

*९--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में किन-किन नगरों में सीवर बनाने की योजना बनायी गई है?

श्री कैलाशप्रकाश--उत्तर प्रदेश के दस नगरों में यानी--१-अलीगढ़, २-बहराइच, ३-बस्ती, ४-देवरिया, ५-हाथरस, ६-उरई, ७-पिलखुआ, ८-अयोध्या, ९-देहरादून, १०-बरौत ड्रेनेज योजना बनाई गई है और इसमें आंशिक सीवर योजना सम्मिलित है। इस प्रकार प्रदेश में २४ नगरों में ड्रेनेज तथा सीवर योजना कायम हो जायेगी।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि दस नगरों में यह योजना चालू होने वाली है और २४ नगरों में पहले से चालू है तो उन जिलों में से किन-किन जिलों में यह योजना समाप्त हो चुकी है?

श्री कैलाशप्रकाश--श्रीमन्, इन २४ जिलों की सूचना इस समय नहीं है, नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--क्या यह सच है कि सीवर योजना बनाने के लिये और कामयाबी के साथ चलाने के लिये गवर्नमेंट के पास कोई अनुभवी इंजीनियर नहीं है?

श्री कैलाशप्रकाश--सरकार के पास इस काम के लिये एल० एस० जी० का इंजीनियरिंग विभाग है और वह काफी अनुभवी है।

श्री गेंदासिंह--क्या यह सही है कि इसी योजना को सफलतापूर्वक चलाने के लिये एक इंजीनियर अमेरिका तीन महीने की ट्रेनिंग के लिये भेजा गया है?

श्री कैलाश प्रकाश--यह तो जो इंजीनियर्स काम करते रहते हैं उन्हें प्रायः बाहर से स्कौलरशिप मिल जाते हैं और वह फायदा उठा लेते हैं। इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि यहां के इंजीनियर्स काम नहीं कर सकते हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--क्या मंत्री जी उन दस नगरों के नाम सुनाने की कृपा करेंगे कि जहां यह योजना चालू होने वाली है?

श्री अध्यक्ष--यह तो उन्होंने अभी सुना दिये हैं।

श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिलों का चुनाव किस आधार पर किया गया है?

श्री सैयद अली जहीर--आधार तो कोई खास नहीं है। जहां-जहां से दरख्वास्तें आईं उन पर गौर किया गया है और देखा गया कि जितना रुपया है वह कितने में बंट सकता है। अभी बहुत से ऐसे शहर हैं जहां हम करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। १२० हमारी म्युनिसिपैलिटीज हैं और हमारी कोशिश है कि हर म्युनिसिपैलिटी में हो जाय। लेकिन धन के ऊपर है कि कितना रुपया हमें मिलता है और कितना हम कर सकते हैं। इस हिसाब से उन्हीं जिलों को लिया गया है जिनमें हम कर सकते हैं और बाक़ी जिलों पर जो बाक़ी है, विचार हो रहा है और रुपया जैसे-जैसे मिलता जायगा हम उन्हीं जगहों में जहां-जहां म्युनसिपैलिटीज हैं करते जायंगे।

पंचायत मंत्रियों की योग्यता

*१०—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में पंचायत के कितने मन्त्रियों की भर्ती होने वाली है और भर्ती होने वाले उम्मेदवारों की क्या योग्यता होनी चाहिये तथा प्रार्थना-पत्र देने के लिये क्या-क्या नियम निर्धारित किये गये हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—पंचायत मन्त्रियों की कोई खास भर्ती नहीं होने वाली है। जहां तक भर्ती होने वाले उम्मेदवारों की योग्यता का सम्बन्ध है वह निम्न प्रकार निर्धारित की गयी है :—

(१) मिडिल या उसके समकक्ष परीक्षा।

(२) क्वीन्स कालेज, बनारस की संस्कृत प्रथमा परीक्षा।

(३) अंग्रेजी का आठवां दर्जा हिन्दी लेकर।

(४) गुरुकुल कांगड़ी के विद्याधिकारी परीक्षा।

(५) हिन्दी साहित्य सम्मेलन की प्रथमा परीक्षा पास होना जरूरी है।

प्रार्थना-पत्र देने के निम्नलिखित नियम हैं :—

(१) जिला तथा ग्रामीण जीवन का अनुभव।

(२) आयु कम से कम २०, अधिक से अधिक ३० वर्ष।

(३) प्रार्थना-पत्र के साथ एक रुपये का ट्रेजरी चालान।

(४) प्रार्थना-पत्र के साथ शिक्षा तथा आयु सम्बन्धी योग्यताओं के प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपि तथा दो आदरणीय व्यक्तियों के आचरण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र नत्थी होने चाहिये।

*११—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछले वर्ग के मुराव जाति के कितने उम्मीदवारों ने प्रार्थना-पत्र दिया है और उनमें से कौन-कौन चुने गये ?

श्री कैलाशप्रकाश—मुराव जाति के ९ व्यक्तियों ने प्रार्थना-पत्र दिया जिनमें से दो व्यक्ति चुने गये जिनके नाम निम्न प्रकार हैं :—

(१) श्री बलराम सिंह मौर्य।

(२) श्री सूर्यलाल मौर्य।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन व्यक्तियों में पिछड़ी जाति के कितने व्यक्ति हैं और परिगणित जाति के कितने व्यक्ति हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—कुल ७० व्यक्तियों की सूची बनी। मुराई जाति की संख्या मैं बतला चुका हूं। परिगणित जाति की संख्या इस समय नहीं है, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

अलीगढ़ जिला सूचना अधिकारी के दौरे के संबंध में जानकारी

*१२—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या सूचना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले के सूचना अधिकारी के कार्यक्रम में शहर और देहात भ्रमण का अनुपात एक महीने में क्या होता है ?

सूचना मंत्री के सभा-सचिव (श्री लक्ष्मीशंकर यादव)--जिला सूचना अधिकारियों के कार्यक्रम के संबंध में देहात तथा शहर के क्षेत्रों में भ्रमण करने के लिये कोई निश्चित अनुपात नहीं निर्धारित किया गया है। प्रत्येक जिले के सूचना अधिकारी को महीने में कम से कम १८ दिन देहातों में दौरा करने का आदेश दिया गया है। मई, १९५५ से मार्च, १९५६ तक जिला सूचना अधिकारी, अलीगढ़ ने ४८ दिन देहातों में भ्रमण किया था।

*१३--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या सूचना मन्त्री अलीगढ़ जिले के सूचना विभाग के लिये एक नई गाड़ी भेजने की व्यवस्था करने पर विचार कर रहे हैं?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--एक नई पिक अप भेजी जा चुकी है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सूचना अधिकारी देहातों के दौरे के लिये तहसीलों के हिसाब से अपने समय का बटवारा करते हैं या कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जाती है?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--प्रश्न तो समझ में आया नहीं मान्यवर। कार्यक्रम बनता है सूचना अधिकारियों का तहसीलों के अनुसार और जिलों में जहां आवश्यकता होती है उसके अनुसार। जो कार्यक्रम बनता है वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट देखता है, उसे स्वीकार करता है और उस कार्यक्रम के अनुसार वे काम करते हैं।

अलीगढ़ जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनने वाली सड़कों का अनुमानित व्यय

*१४--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला अलीगढ़ में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किन-किन सड़कों का निर्माण-कार्य किया जायेगा और अनुमानतः उन पर कितना व्यय होगा?

निर्माण उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)--अलीगढ़ जिले में निम्नलिखित सड़कों का निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन लिया जाने को है :--

पुर्ननिर्माण	अनुमानित व्यय (लाख रुपयों में)
१--अगसौली रेलवे स्टेशन, कचौरा	१.१२५
२--सिकन्दराराव पुरदिलनगर	.५६०
३--सासनी रेलवे फीडर	.९००
४--अगसौली रेलवे फीडर	.३००
नवनिर्माण	
१--अतरौली-कासगंज	९.०००
अधिक यातायात के मीलों की उन्नति तथा आधुनिकीकरण	२.२४०

*१५-१६--श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)--[८ अगस्त, १९५६ के लिये प्रश्न ३५-३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

कानपुर के कर्बला नवाबगंज में शिड्यूल्ड कास्टों की कबरें खोदी जाने की शिकायतें

*१७--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या सरकार जांच करके यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर में कर्बला नवाबगंज (सावलदास घाट) में शैड्यूल्ड कास्टों की कबरें विगत अप्रैल, मई में डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा खोद डाली गईं?

श्री कैलाशप्रकाश--जी नहीं, कब्रें नहीं खोदी गईं।

*१८--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार जांच करके यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त कब्रें खोदे जाने का विरोध करने के लिये ६ मई, १९५६ को शैडूल्ड कास्ट फेडरेशन, कानपुर की तरफ़ से एक सभा की गई थी ?

श्री कैलाशप्रकाश--जहां तक सरकार को पता चला है, ऐसी कोई सभा ६ मई, १९५६ को नहीं की गई।

*१९--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--शैडूल्ड कास्ट जनता की इस शिकायत को दूर करने के लिये सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये और आगे वह क्या कदम उठाना चाहती है ?

श्री कैलाशप्रकाश--प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार का ध्यान उस नोटिस की तरफ़ गया है जो उत्तरी क्षेत्र बार्ड शेडयूल्ड कास्ट्स फ़ेडरेशन कमेटी, करबला, कानपुर द्वारा महाराजा प्रिन्टर्स, ग्वालटोली, कानपुर में छपवा कर बंटवाई गई है और जिसमें यह कहा गया है कि कब्रें खोदी गयी हैं और वहां ६ मई को मीटिंग हुई है ?

श्री सैयद अली जहीर--ऐसा कोई नोटिस इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--यह नोटिस मेरे पास है। क्या इस नोटिस को मेरे पास से लेकर सरकार इस पर ध्यान देगी और जांच करायेगी ?

श्री अध्यक्ष--इस पर वे भी आप से पूछ सकते हैं कि क्या आप इसे उन्हें देने को तैयार हैं ?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--जी हां, क्या सरकार इस नोटिस को सूचना मान कर इसकी जांच कराने के लिये तैयार है ?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप उनके पास नोटिस भेज दीजिये। यह प्रश्न उठता नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या सरकार के पास ऐसी कोई लिखित शिकायत आयी है कि शिडयूल्ड कास्ट्स की कब्रें वहां पर खोदी गयीं ?

श्री सैयद अलीजहीर--जी हां, ऐसी शिकायत तो आयी थी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वह शिकायत क्या थी और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री सैयद अलीजहीर--मैं कुछ वाकया अगर बतला दूं तो शायद माननीय सदस्य को इत्मीनान हो जायगा। जिस वक्त यह स्कीम बनी गंगा मार्ग की तो उस पर कुछ एतराज हुये। उसको रफा करने के लिये २९ अगस्त, १९५५ को चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ वहां के आफिसरान जो थे वह गये और उनके साथ एक्जीक्यूटिव इंजीनियर भी थे और श्री तिलकचन्द कुरील जो प्रेसीडेंट शिडयूल्ड कास्ट्स फेडरेशन हैं वह भी शरीक थे और उन सब में मशविरा हुआ और यह जो पहले बनने वाली सड़क थी उसको बदल कर १५ फीट हटा दी गई और इसी खयाल से हटाई गई थी जिससे उसमें कोई कब्रें वगैरः न पड़ने पावें। लेकिन उसके बाद फरवरी, १९५६ में एक खत आया जिसके जरिये तिलकचन्द जी कुरील ने कहा कि जमीन का एक टुकड़ा उनको रहने के लिये उस सड़क के किनारे पर कहीं पर दे दिया जाय लेकिन चूंकि डेवलपमेंट बोर्ड उनकी इस दरख्वास्त को नहीं मान सकी लिहाजा उसी के बाद से उसके खिलाफ एजीटेशन शुरू हो गया और कहा यह जाता है कि बाज जगह पर जो सड़क खोदी गयी तो वहां पर कब्रें खोद दी गयी हैं। वहां ला कर कुछ हड्डियां रख दी गईं और कहा यह जाने लगा कि वहां पर कब्रें खोदी गयीं। उसकी तहकीकात हुई और यह वाकयात के खिलाफ पाया गया और कोई कब्र नहीं खुदी और सड़क ठीक बनी हुई है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह तहकीकात किसके जरिये से कराई गयी ?

श्री सैयद अलीजहीर--जिला डेवलपमेंट बोर्ड के अफसरान वगैरः बहुत से लोगों ने किया होगा।

जिला बोर्ड, जालौन की सार्वजनिक निर्माण विभाग में ली गयी सड़कें

*२०--श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)--क्या सरकार को यह पता है कि सन् १९५२ से अब तक डि० बोर्ड, जालौन की कौन-कौन सड़कें निर्माण हेतु पी० डब्ल्यू० डी० में शामिल कर दी गई हैं और उन पर कितना-कितना रुपया अनुमानतः व्यय किया जायगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जिला बोर्ड जालौन की निम्नलिखित सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सन् १९५२ से अब तक ली गई हैं और उनका अनुमानित व्यय तथा उन पर ३१ मई, १९५६ तक के व्यय का विवरण प्रत्येक के सामने दिया हुआ है :--

सड़क	अनुमानित व्यय	३१ मई, १९५६ तक का व्यय
	रु०	रु०
१--उरई-औरैया सड़क का उरई-हदुख और खटौंद-औरैया भाग	५,४७,०००	५,४५,३७८
२--जालौन-बांगरा	३,००,०००	२,९४,२७५
३--उरई-राठ	४,०२,०००	२,०४,०००
४--एट-कोटरा	१,०२,५००	४१,९३८

इनके अतिरिक्त जिला बोर्ड जालौन की निम्नलिखित सड़कें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर ली गयी हैं परन्तु उन पर अभी कोई व्यय नहीं हुआ है :

सड़क का नाम	अनुमानित व्यय
	रु०
१--पिरौना रेलवे फीडर सड़क	३०,०००
२--बांगरा-रामपुरा सड़क	३,११,०००
३--जालौन-कोंच सड़क	५,४९,०००

श्री बसन्तलाल--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि औरैया-ओरई और जालौन-बंगरा, एट-कोटरा और ओरई-राठ, इन चार सड़कों का कार्य अभी तक जो पूरा नहीं हो सका है उसका क्या कारण है और यह कब तक पूरा होगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--उन पर निरन्तर कार्य चलता रहा है और कुछ कठिनाइयां उनमें से कुछ सड़कों पर आयी हैं समय-समय पर, लेकिन मेरा विचार है कि कार्य बहुत शीघ्र पूरा हो जायगा, सिवाय एट-कोटरा रोड जिसमें कि कुछ समय लगेगा और ऐसा अंदाजा है कि ओरई-राठ में भी कुछ समय लगने की गुंजाइश है।

जालौन जिले के अजीतापुर तथा अब्दुल्लापुर ग्रामों में पशुओं का अनियमित बध

*२१--श्री बसन्तलाल--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला जालौन के ग्राम अजीतापुर और अब्दुल्लापुर में स्लाटर हाउस न होने के कारण वहां के कसाई अपने घरों में ही पशुओं का बध करते हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--जिला बोर्ड जालौन ने पशुबध सम्बन्धी उपनियम नहीं बनाये हैं अतः यह बात सही है कि ग्राम अजीतापुर और अब्दुल्लापुर जिला जालौन में बोर्ड से मान्यता प्राप्त कोई स्लाटर हाउस नहीं है, मगर यह बात सही नहीं है कि उक्त गांवों के कसाई अपने घरों में पशुओं का बध करते हैं। ग्राम अजीतापुर के कसाइयों ने उसी गांव में दो फर्लांग के फासले पर अपना एक निजी स्लाटर हाउस बनवा लिया है और पशुबध इसी स्लाटर हाउस में होता है। अब्दुल्लापुर में पशुबध होना नहीं पाया जाता।

*२२--श्री बसन्तलाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त ग्रामों में कसाइयों के पास पशु बध करने के लाइसेंस हैं? अगर हां, तो यह लाइसेंस किस अधिकारी द्वारा किस आधार पर दिये जाते हैं?

श्री कैलाशप्रकाश--चूंकि जिला बोर्ड जालौन ने पशुबध सम्बन्धी कोई उपनियम नहीं बनाये हैं, अतः उनके अन्तर्गत लाइसेन्स दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री बसन्तलाल--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि ग्राम अजीतापुर में पशुबध होने वाले पशुओं को कोई देखरेख या पशुबध संबंधी कोई उपनियम लागू न होने के कारण अनेक स्वस्थ तथा आवारा पशुओं का बध होने की शिकायत जिलाधीश या सरकार के पास आई है?

श्री कैलाशप्रकाश--सरकार के पास जो काग़ज़ात हैं उनमें कोई शिकायत नहीं है। जिलाधीश महोदय के पास कोई शिकायत हो तो इस समय नहीं बतलाया जा सकता।

श्री बसन्तलाल--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ग्राम अजीतापुर में मान्यता प्राप्त स्लाटर हाउस होने तथा पशुबध संबंधी नियम बनाने पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने कुछ लिखा-पढ़ी की है?

श्री कैलाशप्रकाश--नहीं, यहां सरकार की ओर से तो कुछ लिखा नहीं गया है।

मेरठ-रासना सड़क को पक्की करने की आवश्यकता

*२३--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मेरठ-रासना रोड को कच्चा से पक्का बनवाने के लिये उसके पास स्मृति-पत्र प्राप्त हुये हैं?

निर्माण मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)--इस सम्बन्ध में सरकार को कोई स्मृति-पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

*२४--श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)--यदि हां, तो उसके ऊपर सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--प्रश्न ही नहीं उठता।

उन्नाव नगरपालिका तथा भगवन्त नगर टाउन एरिया को अनुदान

*२५--श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन्नाव नगरपालिका और भगवन्तनगर टाउन एरिया कमेटी को इस वर्ष १९५५-५६ में किस-किस कार्य के लिये कितना-कितना रुपया दिया गया है?

श्री कैलाशप्रकाश--नगरपालिका उन्नाव और टाउन एरिया भगवन्तनगर को जो-जो अनुदान जिस-जिस कार्य के लिये १९५५-५६ में दिये गये हैं उनका ब्योरा निम्नांकित है :--

नगरपालिका, उन्नाव		रु०
१--सड़कों के बनाने तथा मरम्मत के लिये	..	३०,२००
२--बच्चों के खेल कूद के केन्द्र की स्थापना के लिये	..	१,२००

		रु०
३—जुर्मानों के एवज में	.. ..	४४२
४—मोटर सम्बन्धी टैक्सों के घाटे के एवज में	..	१,८२०
५—निम्न वेतन पाने वाले कर्मचारियों को महंगाई देने के लिये सरकारी सहायता	.. ..	१४४० रु० ११ आने
६—शिक्षा हेतु सरकारी सहायता	.. ..	१९,९०२ रु०

इसके अतिरिक्त कम्पोस्ट बनाने की योजना के अन्तर्गत नगरपालिका को एक ट्रक खरीदने के लिये १८,००० रु० का ऋण भी दिया गया है।

भगवन्त नगर टाउन एरिया

इस टाउन एरिया को १९५५-५६ में कोई अनुदान या ऋण नहीं दिया गया।

उन्नाव जिले की भगवन्तनगर टाउन एरिया के क्षेत्र में परिवर्तन

*२६—श्री देवदत्त मिश्र—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिला अन्तर्गत भगवन्तनगर टाउन एरिया में आस-पास के गांवों के कुछ हिस्से शामिल कर दिये गये हैं? यदि हां, तो क्यों और कौन-कौन?

श्री कैलाशप्रकाश—उन्नाव जिला अन्तर्गत भगवन्तनगर टाउन एरिया के आस-पास के चार गांव पतारी, बाजपेयी खेड़ा, गढ़वा और गोबरहा के अधिकांश भाग पहले ही से टाउन एरिया में शामिल हैं अभी हाल में टाउन एरिया की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन गांवों के हिस्से टाउन एरिया में कब शामिल हुये थे?

श्री कैलाशप्रकाश—इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी कि इस टाउन एरिया को हमारे यहां कब निर्धारित किया गया था।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री महोदय इस प्रश्न को सूचना मानकर जांच करने की कृपा करेंगे कि जो हिस्से पहले से शामिल हैं उनके अतिरिक्त नये हिस्से गतवर्ष टाउन एरिया में शामिल कर लिये गये हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—इसमें कोई सूचना मांगने की आवश्यकता नहीं है। यह तो प्रश्न के उत्तर में कहा जा चुका है कि कोई हाल में टाउन एरिया की सीमा में परिवर्तन नहीं हुआ।

भुवाली नोटीफाइड एरिया की आर्थिक स्थिति

*२७—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को ज्ञात है कि भुवाली नगरपालिका की आर्थिक स्थिति अत्यन्त खराब है? अगर हां, तो क्या सरकार उक्त नगरपालिका को कोई विशेष अनुदान देने का विचार रखती है?

श्री कैलाशप्रकाश—भुवाली नोटीफाइड एरिया की आर्थिक स्थिति खराब अवश्य है पर इधर कुछ हद तक दशा सुधर गयी है और आशा है कि भविष्य में और सुधर जायगी। अनुदान देने का कोई प्रश्न अभी नहीं उठा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या इस भुवाली नगरपालिका की आर्थिक स्थिति खराब होने के सम्बन्ध में या सुधरने के सम्बन्ध में सरकार के पास कुछ आंकड़े प्राप्त हैं, यदि हैं, तो क्या सरकार उनको बताने की कृपा करेगी?

श्री सैयद अली जहीर—१९५४-५५ में १६,३३७ रुपये २ आने ९ पा० वसूल हुये और १६,०१७ रुपये १ आना खर्च हुये। १९५५-५६ में २२,३३४ रुपये ८ आने ५ पाई वसूल हुये और १७,३३७ रुपये ५ आने खर्च हुये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या इस बात को देखते हुये कि भुवाली सबसे बड़ा सेनीटोरियम का केन्द्र है वहां पर पानी और बिजली की सप्लाई ठीक नहीं है सरकार उस नगरपालिका के लिये कोई विशेष अनुदान देने की कृपा करेगी?

श्री सैयद अली जहीर--बिजली और पानी के लिये सभी जगह कोशिश हो रही है और इनके लिये कब धन प्राप्त हो और कब उनकी बारी आवे इसके लिये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्र में पुलों का निर्माण

*२८--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पुल निर्माण की प्राथमिक आवश्यकता को देखते हुये सरकार वहां पुल निर्माण योजनाओं हेतु द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितना धन नियत कर रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--पर्वतीय जिलों में पुल निर्माण योजनाओं हेतु द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ४४.०० लाख रुपये का आयोजन है । जिसमें से योजना की अवधि में लगभग २६.०० लाख रुपये व्यय होने की आशा की जाती है ।

*२९--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कौन-कौन से पुलों का निर्माण किया जायेगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--पर्वतीय जिलों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुलों की सूची सदस्य महोदय की मेज पर रखी हुयी है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३५९ पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जबकि प्रश्नोत्तर में यह कहा गया है कि ४४ लाख रुपये का दूसरी पंचवर्षीय योजना में आयोजन है तो केवल २६ लाख रुपया कैसे व्यय होगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--कुछ तो जो चालू कार्य हैं उनमें खर्च होगा और बाकी रुपया दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में समाप्त होने की आशा है । यह भी हो सकता है कि उसके बाद कुछ रुपया बचे और वह दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में समाप्त नहीं किया जा सके ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या माननीय मंत्री महोदय बतलायेंगे कि क्या इन पुलों में इंडो टिबटन बोर्डर के पुल भी हैं जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के मार्ग में आते हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी हां, हो सकता है । इसमें कुछ गढ़वाल में हैं, नैनीताल में हैं और अल्मोड़ा में हैं, इस प्रकार से प्रत्येक पर्वतीय जिले में हैं और ऐसी दशा में इन पुलों में से कुछ तो उस यात्रा के मार्ग में आ ही जायेंगे ।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि पर्वतीय जिलों में हिमालय के अलावा विंध्याचल और कैमूर रेन्ज के जिले भी शामिल हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--यह पहाड़ों का तो नाम सुना है लेकिन यह पहाड़ अलग-अलग जिले हैं ऐसा नाम मैंने नहीं सुना है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह चालू कार्य जो बतलाया गया है वह कौन है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इसके लिये सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि कैलाश-यात्रा लाइन में पुलों का बिल्कुल अभाव है जिससे यात्रियों को और स्थानीय जनता को बहुत कष्ट होता है ?

श्री अध्यक्ष--यह तो माननीय सदस्य स्वयं जानते होंगे।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--मैं आज ही वहां से आ रहा हूं।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी विंध्याचल और कैमूर पर्वतों के जिलों में नदियों के ऊपर पुल न होने के कारण जनता की असुविधा पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--यह तो पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में पूछा गया है, तो पहले आप उन्हें पर्वतीय क्षेत्र में शामिल करा लीजिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी--नैनीताल में झूले के पुल किन-किन स्थानों पर बनेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जहां तक मुझे स्मरण है, इसकी सूचना मैं दे चुका हूं सदन को पहले। इस समय मेरे पास वह सूचना नहीं है।

आजमगढ़ की छोटी सरयू नदी पर पुल निर्माण में प्रगति

*३०--श्री विश्रामराय (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ की छोटी सरयू नदी पर चांद पट्टी में पुल निर्माण का काम कब तक समाप्त हो जायगा ?

श्री राममूर्ति--पुल निर्माण-कार्य मार्च सन् १९५७ तक समाप्त होने की आशा है।

श्री उमाशंकर--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पुल कब से बन रहा है ?

श्री राममूर्ति--इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह पुल कितनी लागत में बनाया जा रहा है ?

श्री राममूर्ति--इसके लिये भी नोटिस की आवश्यकता है।

*३१-३३--श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--[११ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*३४-३६--श्री उमाशंकर--[४ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*३७--श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)--[४ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

राज्य में सूचना केन्द्र

*३८--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--क्या सरकार उन जिलों की एक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी कि जहां सूचना केन्द्र स्थापित हो चुके हैं ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--वांछित सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३६०-३६३ पर)

*३९--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह उक्त केन्द्रों के अलावा और भी केन्द्र खोल रही है ? यदि हां, तो कितने और किन-किन जिलों में ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--उक्त केन्द्रों के अलावा सूचना विभाग द्वारा और भी ६२ केन्द्र खोले जायेंगे पर स्थानों का प्रश्न अभी विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जितने भी राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड उत्तर प्रदेश में खुलेंगे उन सबमें एक एक सूचना केन्द्र नियोजन विभाग द्वारा खोला जायगा।

नोट--तारांकित प्रश्न ३० श्री रामसुन्दर पाण्डेय ने पूछा।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो ६२ नये केन्द्र खुलने वाले हैं उनके स्थान किस आधार पर निश्चित किये जावेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आवश्यकतानुसार ।

*४०—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—[११ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*४१—श्री व्रजवासीलाल (जिला फैजाबाद)—[११ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

मिर्जापुर जिले में अहरौरा बाजार निवासियों को जल कष्ट

*४२—श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार को ज्ञात है कि मिर्जापुर जिले के अहरौरा बाजार में निवासियों को घोर जल-कष्ट है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां ।

*४३—श्री व्रजभूषण मिश्र—इस जल-कष्ट को दूर करने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्य वाही की गयी और इसका अन्तिम निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री कैलाशप्रकाश—एक नल कूप का एस्टीमेट (Estimate) जिसका अनुमानित व्यय ३१,३०० रु० है अहरौरा नोटीफाइड एरिया कमेटी को स्वीकृति के लिये भेजा जा चुका है । कमेटी की स्वीकृति के उपरान्त यह एस्टीमेट (Estimate) स्टेट हेल्थ बोर्ड उत्तर प्रदेश की स्वीकृति तथा आर्थिक सहायता हेतु भेजा जावेगा । जैसे ही उपरोक्त धनराशि स्वायत्त शासन इंजीनियरिंग विभाग में जमा कर दी जायगी नलकूप का कार्य प्रारम्भ हो जायगा । नलकूप सफल होने के उपरान्त जल-कल योजना बनानी प्रारम्भ कर दी जावेगी । जलकल योजना संबंधित कार्य जलकल योजना की स्वीकृति तथा धनराशि मिलने के उपरान्त ही प्रारम्भ की जा सकेगी । उपर्युक्त कार्य में कम से कम एक वर्ष का समय लगने की संभावना है ।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि हिलौरा में एक बड़ा भारी बंधा है जो ऊंचाई पर है और वहां पानी मिल सकता है और इस नलकूप की आवश्यकता नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप सूचना दे रहे हैं ।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि उससे पानी पहुंच सकता है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, यह भी इंजीनियरिंग विभाग के विचाराधीन था ।

श्री व्रजभूषण मिश्र—जब यह इंजीनियरिंग विभाग के विचाराधीन था तो इसे छोड़ क्यों दिया गया ?

श्री कैलाश प्रकाश—समझा यह गया कि यदि वहां नलकूप बन सके तो उससे पानी आसानी से और सस्ते दामों पर दिया जा सकता है । इसलिये इसकी कोशिश की जा रही है ।

श्री व्रजभूषण मिश्र—यह मामला सरकार के कितने दिनों से विचाराधीन है और इसमें देर क्यों लगी ?

श्री अध्यक्ष—यह तो उन्होंने बतला दिया है ।

*४४—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—[४ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४५-४६—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—[४ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

दरजी कुआं-मनकापुर सड़क बनवाने की मांग

*४७—श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार बतायेगी कि दरजी कुआं-मनकापुर सड़क कब बनना शुरू होगी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उसके कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—अन्य अधिक महत्वपूर्ण कार्यों के कारण इस सड़क को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करना सम्भव नहीं हुआ है। यदि अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध होगी तो इसके निर्माण के प्रस्ताव पर विचार किया जायगा।

श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)—क्या यह सही है कि जिला नियोजन समिति ने इस सड़क को सर्वप्रथम स्थान दिया था ? यदि हां, तो फिर इसको लिस्ट में क्यों नहीं रक्खा गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, यह सही है कि जिला नियोजन समिति ने इसको प्रथम स्थान दिया था और इस सड़क को प्रारम्भ में जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनायी थी, उसमें इसको सम्मिलित किया गया था किन्तु बाद में धनराशि में कटौती होने के कारण इसको छोड़ दिया गया और तुलसीपुर-इटवा रोड को लेना पड़ा जो रेलवे से संबंधित नहीं है तथा एक दूसरे मार्ग का टूटा हुआ हिस्सा है जो गोरखपुर, फरेंदा, बहराइच आदि को मिलता है। एक कारण यह भी था कि मनकापुर, गोंडा से जो सीधी रेलवे लाइन आती है उससे संबंधित है। इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुये इस सड़क को छोड़कर तुलसीपुर-इटवा सड़क को ले लेना पड़ा।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बतायेगी कि यह सड़क जो दरजी कुआं से मनकापुर जाती है, उस पर मिट्टी भी पड़ चुकी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह संभव हो सकता है, यदि माननीय सदस्य को ऐसी इत्तला है। ऐसा भी हो सकता है कि पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन के पहले फेज में ली गयी हो और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को वापिस कर दी गयी हो।

श्री गेंदासिंह—आपने दूसरे स्थान पर जो काम शुरू किया तो क्या उसके लिये भी नियोजन समिति की सिफारिश को ध्यान में रक्खा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—दुर्भाग्य से नियोजन समिति की जो सिफारिशें आती हैं वे हमेशा सही नहीं होतीं। इसके अतिरिक्त बहुत सी और बातों को भी देखना पड़ता है। कभी कभी नियोजन समिति एक बार एक सिफारिश भेजती है, दूसरी बार दूसरी और तीसरी बार तीसरी। इसलिए उसकी राय को एक दम से प्राथमिकता देना संभव नहीं होता।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि सरकार की यह निश्चित नीति है कि वह जिला नियोजन समिति की सलाह के विरुद्ध कार्य नहीं करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी ऐसा नहीं है।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—सरकार ने जवाब दिया कि अतिरिक्त धन होने पर विचार किया जायगा। यह धन सरकार को कहां से मिलने की आशा है—भिक्षावृत्ति से या और कोई प्रबंध किया है ?

श्री अध्यक्ष—क्या आपने 'भिक्षावृत्ति' कहा ? मैं समझता हूं प्रश्नों में आपको आक्षेप नहीं करना चाहिये ।

श्री बलदेवसिंह—इस सड़क के लिये सरकार को धन कहां से मिलने वाला है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—ऐसा अनुभव किया जाता है कि सड़कों के लिये हम लोगों ने कुछ कम पैसा दिया है । यदि और योजनाओं में बचत हो सकेगी तो इसमें लगाने पर विचार किया जायगा । इसलिये भी संभावना बढ़ गयी है कि इमारतों के लिये जो धनराशि रक्खी गयी है, वह सामान न मिलने के कारण पूरे तरह से इस्तेमाल न हो सकेगी, इसलिये उसकी बचत भी इस तरफ लगायी जा सकती है ।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जहां पर नियोजन समिति के फैसले के विरुद्ध सरकार को काम करना पड़ता है तो क्या उस प्रश्न को सरकार प्लानिंग मिनिस्टर साहब की जो सलाहकारिणी समिति है उसके सामने इसे ले आती है या स्वयं ही तय कर लेती है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—बहुत सी बातों में तो सरकार स्वयं निर्णय कर लेती है, लेकिन ज्यादातर सारी योजना कमेटी में जाती है और वहां से एप्रूव करा ली जाती है ।

*४८-४९—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—[२७ अगस्त, १९५६ के लिये प्रश्न ३३-३४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

निर्माण विभाग में कम्प्यूटर्स को नियुक्ति के समय चार वेतन वृद्धियों का देना

*५०—श्री रामनारायण त्रिपाठी (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि सरकार ने यह विज्ञापन निकाला है कि निर्माण विभाग में जो कम्प्यूटर्स नियुक्त होंगे उनको सरकार एक साथ ही चार वर्ष की वेतन-वृद्धि भी देगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सरकार ने चीफ इंजीनियर, सार्वजनिक निर्माण विभाग को यह अधिकार दिया है कि वह विज्ञापन द्वारा नियुक्त कम्प्यूटरों को नियुक्ति के समय ४ वेतन-वृद्धियां तक दे दें ।

*५१—श्री रामनारायण त्रिपाठी (अनुपस्थित)—तो क्या यह सुविधा उन कम्प्यूटर्स को भी दी जायेगी जिनकी नियुक्ति पिछले ४ वर्षों में हुयी है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—ऐसा कोई निश्चय सरकार ने नहीं लिया है ।

*५२—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—[११ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५३-५४—श्री इस्तफा हुसैन—[११ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

आगरा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सेक्रेटरी की सेशन सुपुर्दगी

*५५—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या यह सही है कि आगरा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सेक्रेटरी को जाली रसीदों के मामले में, मार्च, १९५६ में सेशन सुपुर्द किया गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, आगरा के सेक्रेटरी के पास जाली कागजात मिलने के आरोप में उन्हें आई० पी० सी० की धारा ४७४ के अन्तर्गत ३१-३-५६ को सेशन सुपुर्द कर दिया गया है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सेशन सुपुर्द होने के बाद सेक्रेटरी महोदय अपने पद पर कार्य कर रहे हैं या मुअत्तल कर दिये गये हैं ?

श्री सैयद अलीजहीर—जी हां, अपने पद पर कार्य कर रहे हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इतने गम्भीर आरोप में भी मुकदमा चलने पर और सेशन सुपुर्द होने पर भी वे मुअत्तल क्यों नहीं किये गये हैं ?

श्री सैयद अलीजहीर—यह तो मुनहसर है इस बात पर कि किस किस्म के उन पर आरोप हैं और जो चेयरमैन हैं उनका यह फर्ज है कि उसको देखें और उस पर फैसला करें । बहरहाल, जहां तक सरकार को इत्तिला है मालूम यह हुआ है कि इसी जुर्म में पहले तहकीकात हुयी थी और जहां तक सरकारी तहकीकात थी उससे यह मालूम हुआ कि यह जुर्म उन पर साबित नहीं हुआ । लेकिन उसके बाद एक प्राइवेट कम्पलेंट पर उन पर मुकदमा चलाया गया है और चूंकि मैजिस्ट्रेट ने कहा कि हम खुद सबूत में नहीं जा सकते हैं लिहाजा इस मुकदमे को सेशन सुपुर्द कर दिया । अब ऐसी हालत में चेयरमैन को अख्तियार है कि उनको सस्पेंड करे या न करे । उसने मुनासिब समझा कि उनको सस्पेंड न किया जाय । जब सजा हो जायगी तब जो जरूरी कार्यवाही डिपार्टमेंटल होगी उनके खिलाफ की जायगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, आगरा के चेयरमैन को कोई सलाह दी है ?

श्री सैयद अलीजहीर—सलाह का कोई मौका उठा नहीं ।

श्री गेंदासिंह—क्या सेक्रेटरी की नियुक्ति के सम्बन्ध में सरकार से बोर्ड सलाह लेता है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—यह नियुक्ति का प्रश्न नहीं है ।

श्री गेंदासिंह—क्या बोर्ड की तरफ से कभी यह बात उनको सस्पेंड करने के लिये सरकार के सामने रखी गयी थी ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं, बोर्ड की तरफ से ऐसी कोई तजवीज सरकार के सामने नहीं आयी । बोर्ड खुद उनको सस्पेंड कर सकता है ।

हाथरस तहसील में मुरसान-सादाबाद सड़क पर करबन नदी के पुल की खराब हालत

*५६—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस तहसील में मुरसान से सादाबाद जाने वाली सड़क पर करबन नदी का पुल टूटा पड़ा है जिसमें प्रतिवर्ष कुछ न कुछ आदमी डूब कर मर जाते हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मुरसान-सादाबाद सड़क, जिस पर यह पुल पड़ता है, जिला बोर्ड, अलीगढ़ के अधीन है ।

*५७—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—निर्माण मंत्री इस प्रमुख सड़क के पुल को कब तक बनवाने की आशा करते हैं और इस पर क्या व्यय होगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—प्रथम भाग—इस पुल के निर्माण की जिम्मेवारी जिला बोर्ड पर है ।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

*५८—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह इगलास-मुरसान-हाथरस रोड किसके अधिकार में है ? यह सड़क कब तक पक्की हो जायेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—प्रथम भाग—इगलास-मुरसान-हाथरस सड़क का इगलास-मुरसान भाग जिला बोर्ड अलीगढ़ के अधीन है तथा मुरसान-हाथरस भाग सार्वजनिक निर्माण के अधीन है ।

द्वितीय भाग—इगलास-मुरसान सड़क को पक्का करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है । मुरसान-हाथरस सड़क बरेली-मथुरा सड़क का १६ फीट चौड़ा पेटेड भाग है । इसके पक्का करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री शिवदयाल उपाध्याय के निधन पर शोकोद्गार

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अभी एक दुखद समाचार मिला है । श्री शिवदयाल उपाध्याय फतेहपुर जिले के रहने वाले थे और जो इस सदन के बहुत अर्से तक सदस्य रहे हैं और इस वक्त लोक सभा के सदस्य थे । कल उनका देहान्त हो गया । उनकी तन्दुरुस्ती अर्से से खराब थी और इस दर्मियान में कुछ और ज्यादा खराब हो गयी । दवा कराने के हेतु कल वह रेल से कानपुर जा रहे थे । रास्ते में रेल ही पर उनका स्वर्गवास हो गया और वहीं से उनका शव घर वापस लाया गया ।

उपाध्याय जी, जहां तक मेरा उनसे सम्बन्ध है मैं अर्से से उनसे परिचित था । सन् १९४२ के आंदोलन में नैनी जेल में उनके साथ अर्से तक रहने का मौका मिला । जितने ज्यादा करीब से मैंने उनको देखा उतनी ही ज्यादा उनमें खूबियां पायीं । उनका रहन-सहन इतना सीधा था जिसका कि कोई बयान नहीं किया जा सकता । रहन-सहन सीधा और विचारों में बहुत ऊंचे थे और कांग्रेस के सिपाहियों में उनकी खास जगह थी । फतेहपुर जिले का नेतृत्व उनके हाथ में था । उनके निधन से फतेहपुर जिले को ही नहीं बल्कि सारे उत्तर प्रदेश को बड़ी क्षति पहुंची है जिसकी पूर्ति सरेदस्त असंभव सी प्रतीत होती है । उनके निधन पर उनके घर वालों को जो आघात पहुंचा है उसके साथ यह सदन समवेदना प्रकट करता है और अध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना है कि इस सम्वेदना के प्रस्ताव को उनके कुटुम्बियों के पास भेजने का कष्ट करें ।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय कृषि मंत्री जी ने जो दुखद समाचार सुनाया वह सभी को तकलीफ देने वाला है । हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन के सिपाहियों में से उपाध्याय जी थे । आज भी वह देश की सेवा करने में लगे हुये थे । ऐसे लोग हमारे देश में अभी जीवित रहें और उनको सेवा का अधिक से अधिक अवसर मिल सके यही हमारे देश के लिये सौभाग्य की बात है । उपाध्याय जी—जैसा कि कृषि मंत्री जी ने बताया अर्से से बीमार थे और उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था । फिर भी हम तो उनके जीने की ही कामना करते थे । यदि वह होते तो हमारी बहुत सहायता वह करते । हम माननीय कृषि मंत्री जी ने जो भाव व्यक्त किये हैं उनसे पूर्णतया सहमत हैं अपने को सम्बद्ध मानते हैं और अपने सभी मित्रों की तरफ से उनकी मृत्यु पर संवेदना प्रकट करते हैं और हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप कृपा करके उनके परिवार के लोगों को हमारे सभी लोगों की संवेदना सूचक संवेदना को पहुंचा देने की कृपा करें ।

*श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, जो दुखद समाचार माननीय कृषि मंत्री जी ने अभी इस सदन को दिया उससे हम सभी दुखी हैं और यह वास्तविकता है कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

उपाध्याय जी की मृत्यु से, उनके निधन से फतेहपुर को ही नहीं बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश को एक महान् क्षति हुई है। श्रीमन्, ऐसे सिपाही, ऐसे सेवक, ऐसे भक्त बहुत कम हुआ करते हैं। उनके निधन पर ऐसी क्षति होती है जिसकी कि पूर्ति जल्दी से नहीं हो पाती है। मान्यवर, यह मैं अपने दल की तरफ से सम्वेदना प्रगट करता हूं और आपसे यह आग्रह करता हूं कि उनके दुखी परिवार को यह संवेदना पहुंचा दी जाय और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके दुखी परिवार को वह साहस स्वयं भगवान दें, ताकि वह इस दुख को सहन करने में समर्थ हों।

*श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, शिवदयाल जी उपाध्याय के स्वर्गवास का समाचार मेरे लिये एक वैयक्तिक आघात भी है, सार्वजनिक दुख के साथ-साथ चूंकि मैं उनको सन् २३ से अच्छी तरह से जानता हूं, वह फतेहपुर जिले के रहने वाले थे जैसा कि माननीय कृषि मंत्री जी ने बताया। सन् १९२३ में मैं फतेहपुर जिले से ही लेजिस्लेटिव कौंसिल के लिये खड़ा हुआ था और चुना गया था और उन साथियों में जिन्हें श्रेय था मुझे वहां चुनवाने में शिवदयाल जी उपाध्याय मुख्य थे। उनका जीवन सादा जीवन और उच्च विचार का एक नमूना था। उनका स्वास्थ्य बहुत दिनों से खराब था, लेकिन यह आशा कि इस तरह से, इतनी जल्दी अचानक यह वज्राघात होगा इस तरह की आशंका हमें अभी भी नहीं थी। जो माननीय कृषि मंत्री जी ने और माननीय अवधेशप्रताप सिंह जी ने भावनायें प्रगट की हैं उनका मैं समर्थन करता हूं, उनमें शामिल होता हूं और यह आशा करता हूं कि सदन के सभी सदस्यों की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार के लिये संवेदना भेजी जायगी।

*श्री शिवराजबली सिंह (जिला फतेहपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, शिवदयाल जी उपाध्याय के विषय में जितना भी कहा जाय उसे मैं कम समझता हूं। हम सब लोग उनके साया में फतेहपुर में जितने कांग्रेस वर्कर थे, छोटे या बड़े, शिक्षा पाये हैं। शिवदयाल उपाध्याय कांग्रेस के सिपाही ही नहीं थे बल्कि वह आध्यात्मिक विषय के एक बहुत ऊंचे विचार के पंडित थे। हमेशा जब-जब कोई काम आया उपाध्याय जी की शरण में हम सब लोग रहे। अब हम यह कह सकते हैं कि हमारे यहां कोई उनकी जगह की पूर्ति करने वाला नहीं है। हम लोग अपने को निरीह और अकेले पाते हैं। लेकिन ईश्वर की इच्छा के प्रतिकूल कोई जा नहीं सकता। ईश्वर की ऐसी इच्छा ही थी। हम लोग तारीख १० को कानपुर में मिले थे। वह यहां तीन महीने से बीमार थे। हम लोगों को आशा ऐसी थी कि वह अच्छे हो जायेंगे। कानपुर में डाक्टरों और वैद्यों की सलाह से वह अपने घर बिजौली चले गये। ऐसी उन्हें शिक्षा दी गयी थी कि शायद जलवायु का परिवर्तन होने से वह अच्छे हो जायं। कल की खबर से मालूम होता है कि शायद देहात में उनको औषधि इत्यादि का ठीक-ठीक से कोई प्रबंध न हो सका। वह कानपुर दवा के हेतु आ रहे थे और बीच ही में चकेरी स्टेशन या कहीं पर उनका स्वर्गवास हो गया। यहां पर जितने पुराने परिचित लोग हैं वह सब उनके विषय में जानते हैं।

तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि जैसा कि सब लोगों ने कहा, उनके परिवार के लिये सम्वेदना भेज दी जाय और उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे।

श्री अध्यक्ष--श्री शिवदयाल उपाध्याय के आकस्मिक निधन का समाचार एकाएक अभी-अभी जानकर मुझे बहुत धक्का लगा। यहां आने के पहिले मुझे सूचना मिली थी, क्योंकि मैं अखबार को आज पूरी तरह से पढ़ नहीं पाया था। उनको मैं नहीं कह सकता हूं कि कितने वर्षों से जानता हूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि करीब २० वर्षों से तो अवश्य उनको जानता हूं। बहुत सज्जन और जन-सेवी वह व्यक्ति थे। यही मैं कह सकता हूं, थोड़े शब्दों में कि भारतीय संस्कृति के वे प्रतीक थे, कार्य-दक्ष और उच्चकोटि के जनसेवक वह रहे हैं। निरभिमान

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और लोकसेवा में सदैव रत रहना, किसी से मैं समझता हूं उनके मन में कभी विरोध की भावना या द्वेष की भावना नहीं उत्पन्न होती थी। सभी दलों के लोगों से, कितना भी राजनैतिक भेद क्यों न हो, वह प्रेम रखते थे और उनके प्रेम-भाजन बन जाते थे, यह उनमें विशेषता थी। तो ऐसे अपने देश के सेवक और सज्जन पुरुष के लिये कौन आत्मा दुखी नहीं होगी कि उसकी आकस्मिक घटना से मृत्यु हो जाय।

मैं जो भावनायें इस सदन में श्री हुकुमसिंह जी ने, श्री गेंदासिंह जी ने और अन्य दलों के सदस्यों ने व्यक्त की हैं तथा फतेहपुर के सज्जनों ने भी व्यक्त की हैं उनसे अपनी सहमति व्यक्त करता हूं और जो भावनायें यहां प्रकट की गयी हैं, वे सम्वेदना की भावनायें उनके दुखी कुटुम्ब के लिये मैं भेज दूंगा।

अब एक मिनट के लिये खड़े होकर उनकी आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना करें।

(सब सदस्य एक मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास श्री जगन्नाथ मल्ल जी ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न भेजा है और मैं उसको अभी अध्ययन नहीं कर सका हूं, पढ़ नहीं पाया हूं। किसी दूसरे रोज इस प्रश्न को मैं ले लूंगा और २२ तारीख को निर्णय इसके सम्बन्ध में दूंगा।

गंगा, यमुना, घाघरा आदि नदियों में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विवादार्थ कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री कल्याणचन्द जी मोहिले ने यह कामरोको प्रस्ताव भेजा है—

"उत्तर प्रदेश की छः बड़ी नदियों, गंगा, यमुना, घाघरा, राप्ती, बेतवा तथा केन में आयी हुयी भयंकर बाढ़ जिसके कारण:—

१—इलाहाबाद में सारे संगम-स्नान क्षेत्र, दारागंज तथा अन्य नदी के शहरी क्षेत्र, तथा सैकड़ों ग्रामों को अत्यन्त खतरा उत्पन्न हो गया है और शहर पानी से घिर रहा है;

२—बनारस में दशाश्वमेध घाट के ऊपर तक पानी भर गया है तथा पानी भदोही तक बढ़ रहा है, जिससे शहर तथा किनारे के सैकड़ों ग्रामों को खतरा पैदा हो गया है;

३—हमीरपुर शहर को भारी खतरा हो गया है, सारी कचहरियां बन्द हो गयी हैं, तथा ३०० ग्रामों में पानी भर गया है; तथा

४—बुन्देलखंड व बनारस तथा इलाहाबाद डिवीजन के इन नदियों के किनारों पर स्थित समस्त जनता को भयंकर खतरा पैदा हो गया है।

अतएव उपर्युक्त अति गम्भीर परिस्थिति पर विचार करने के लिये यह भवन आज का अपना कार्य स्थगित करता है।"

कल श्री राम सुन्दर पांडेय का एक कामरोको प्रस्ताव बलिया की बाढ़ के बारे में था और माननीय विरोधी दल के नेता ने उस समय यह इच्छा प्रगट की थी कि सूखा के बारे में भी और जो अपने प्रदेश में इस तरह की बाढ़ आदि की आकस्मिक और नैसर्गिक आपत्तियां उत्पन्न हुयी हैं उनके सम्बन्ध में जानकारी सरकार हासिल करे और सदन को दे और उस पर विवाद के लिये उन्होंने यह भी कहा था कि इस सम्बन्ध में कोई समय निर्धारित किया जाय क्योंकि कामरोको प्रस्ताव से काम नहीं चल रहा है और यह महत्व का विषय है।

मैंने मुख्य मंत्री जी से इस सम्बन्ध में बातें कीं। सूखा के सम्बन्ध में और बाढ़ के सम्बन्ध में, दोनों के बारे में वह समय देने के लिये तैयार हैं और उन्होंने यह कहा है कि वह आज बाढ़ क्षेत्रों में घूमने के लिये जा रहे हैं तो २२ तारीख को जब यह सदन फिर से बैठेगा उस समयतक

[श्री अध्यक्ष]

वह पूरी जानकारी हासिल कर लेंगे और बीच में जो कार्य करने हैं, उनकी आज्ञा दे आयेंगे तथा अन्य मंत्रिगण भी चाहते हैं कि वह हर बाढ़ क्षेत्र में जाकर, उचित कार्यवाही, जहां कहीं करने की आवश्यकता हो वह करें और जानकारी हासिल करें फिर मुख्य मंत्री जी २२ तारीख को सदन में एक अपना वक्तव्य सूखा के सम्बन्ध में भी और बाढ़ के सम्बन्ध में भी दे देंगे।

आज उन्होंने यह भी कहा है कि सूचना मंत्री अथवा माल मंत्री दोनों विषयों के बारे में अपना वक्तव्य दे दें सदन को और बहस के लिये २२ तारीख रखी जायगी, जिसमें सदन को पूरी जानकारी तब तक मिल सकेगी और माननीय सदस्य भी स्वयं अपने क्षेत्रों में जाकर जानकारी हासिल कर सकेंगे और विवाद कर सकेंगे, ऐसी अवस्था में यह कामरोको प्रस्ताव जबकि उसका विषय विवाद के लिये स्वीकार कर लिया है तो निरर्थक होगा और मेरे लिये इसकी अनुमति देना उचित नहीं होगा जबकि समझौते से हम इस बात को तय कर सकते हैं कि किसी दिन शीघ्र विवाद हो। मैं इस कामरोको प्रस्ताव को इस समय इसलिये अनावश्यक समझता हूं और माननीय सूचना मंत्री जी से मैं यह कहूंगा कि वह अपना वक्तव्य इस सम्बन्ध में दें और जितनी जानकारी उनको हासिल हुयी है बाढ़ के सम्बन्ध में वह सदन को दें।

बाढ़ के संबंध में सूचना मंत्री का वक्तव्य

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—अध्यक्ष महोदय, यह एक असाधारण विरोधी परिस्थिति प्रदेश में उत्पन्न हुयी दिखायी देती है कि जिसको देखकर आश्चर्य होता है कि एक ओर तो सूखा की वजह से सचमुच उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा इलाका ग्रसित है और दूसरी ओर ऐसे समय जबकि फसल सूख रही है, बाढ़ से बड़ा भारी आतंक उत्पन्न हो गया है ऐसा लगता है कि हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि प्रकृति अथवा भगवान को क्या दोष दें जहां इसमें कुछ नियोजन का अभाव दिखायी दे रहा है कि एक तरफ सूखा चल रहा है और दूसरी तरफ बाढ़ आ गयी है। अभी हम सूखे से लड़ने की ही तैयारी कर रहे थे और यह आशा भी नहीं थी, क्योंकि कहीं पानी ही नहीं बरस रहा था कि हमारी नदियों में कोई बाढ़ आ जायेगी।

बुन्देलखंड के इलाके में केन, बेतवा और चम्बल नदियों में भी पानी बढ़ा और वह पानी यमुना में भी आया, उसमें भी बाढ़ आयी, वह गंगा में भी आया और गंगा में भी बाढ़ हुयी। अक्सर जिन नदियों में बाढ़ आया करती थी उनमें कोई भी असाधारण बाढ़ नहीं है—मेरा मतलब घाघरा या राप्ती से है—पर इन नदियों में सहसा बाढ़ आयी और उस बाढ़ का एक व्यापक असर हुआ। ऐसे हमारे प्रदेश में मई के आखिर में, शायद ३०,३१ मई को ऊपर हिमालय में पानी अधिक बरसने के कारण एक बार बाढ़ आयी थी और उस बाढ़ से कुछ नुकसान भी हुआ, ३०, ३१ मई के आसपास और जून की पहली, दूसरी, तीसरी तारीखों में। वह तो समय ऐसा था जब बाढ़ का कोई समय था नहीं लेकिन कदाचित् पहाड़ों में अत्यधिक जल की वर्षा से यह बाढ़ आ गयी।

इसके बाद फिर मुजफ्फरनगर में सहसा ३७,३८ इंच पानी करीब २०–२२ घंटे में बरसा जिसकी वजह से मुजफ्फरनगर के बहुत बड़े हिस्से में काफी तबाही हुयी, शहर को खास करके और शहर के आसपास ८–१० वर्ग मील में भी बड़ी तबाही हुयी और उस पानी से फिर हिन्डन में और यमुना में कुछ बाढ़ आयी तथा आगे मेरठ के हिस्से में भी गाजियाबाद में खास तरीके से और हिंडन के इलाके में भी थोड़ा-सा नुकसान पहुंचा, उसके बाद फिर सूखा सूखा चलता रहा। स्वयं मुजफ्फरनगर के इलाके में जहां कि बाढ़ से इतनी तबाही हुयी वहां के बहुत बड़े हिस्से में, खास करके बुढ़ाना तहसील वगैरा में और मेरठ के बहुत बड़े हिस्से में सूखा सूखा सा था और प्रदेश के ऐसे भाग में जहां कि जल वर्षा से ही हानि हुआ करती थी वहां सूखा ही सूखा रहा। देवरिया, गोरखपुर, गाजीपुर, बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर आदि को, जो खासकर धान का इलाका कहलाता है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ।

अब इधर बुन्देलखंड में जो पानी बरसा और वहां की नदियों में जो बाढ़ आयी उसका असर मालूम होता है कि यमुना और गंगा पर अधिक पड़ा है और ११ तारीख को सहसा बाढ़ का एक व्यापक रूप हमारे सामने प्रकट हुआ। आज जो सूचनायें हमें मिली हैं उनसे ऐसा लगता है कि अब तक पानी की प्रगति रुकी नहीं है। यमुना में भी और गंगा में भी पानी बढ़ता जा रहा है और अवश्य ही इस पानी के बढ़ाव के कारण एक भारी समस्या भी पैदा हो गयी है और आतंक भी बहुत उत्पन्न हो गया है। हमीरपुर में केन का पानी बढ़ा जिसकी वजह से बांदा में कुछ नुक्सान हुआ। बांदा शहर और उसके आसपास के बहुत बड़े इलाके में पानी पड़ा जिसकी वजह से बांदा शहर और उसकी देहातों के कुछ हिस्सों से यातायात का सम्बन्ध टूटा। इसके साथ-साथ हमीरपुर में बेतवा नदी में पानी बहुत बढ़ा और हमीरपुर शहर जो कि एक टीले पर आबाद है एक तरह से, जिसके एक तरफ यमुना है और दूसरी तरफ बेतवा है, उसको जबर्दस्त खतरा पैदा हुआ। १९०१ में बेतवा में बाढ़ का पानी जहां तक पहुंचा था उससे अधिक पानी बेतवा मे बढ़ा। यमुना में भी बाढ़ थी और हमीरपुर शहर के लिये खतरा पैदा हुआ। वहां के कलेक्टर की सूचना भी आयी कि यों ही दोनों तरफ नदियों के होने के कारण बरसात के दिनों में बहुत कठिनायी होती थी शहर का जिले के दूसरे हिस्सों से सम्बन्ध स्थापित करने में पर बाढ़ के कारण तो हमीरपुर का शहर करीब-करीब सारे जिले से अलग सा हो गया है। गांवों में भी पानी घुसा और करीब तीन साढ़े तीन सौ गांवों में बेतवा का पानी गया, जिससे वहां खेती को नुकसान पहुंचा।

इसके बाद, बेतवा और यमुना की बाढ़ के कारण इलाहाबाद में बाढ़ आयी। आज सूचना यह है कि यमुना का गेज कल २८१ फीट था आज वह २८२ फीट है और हाईयेस्ट फलड लेविल जो सन् १९४८ में सबसे ज्यादा हुआ वह २८६ था यानी हाईयेस्ट फलड लेविल से यमुना का गेज इलाहाबाद में सिर्फ चार फीट नीचे है और गंगा का २८२ कल था आज २८३ है और जो २८८ हाइयेस्ट फ्लड लेविल है उससे चार-पांच फीट नीचे है। कल रात गंगा का पानी प्रयाग में बढ़ा है और बनारस में भी बढ़ा है और इन दोनों नदियों में पानी बढ़ने से इन दोनों शहरों को नुकसान हुआ है वह तो हुआ, खासकर शहरों में तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन देहाती रकबों में जो नुक्सान हुआ वह प्रत्यक्ष है। इस पानी के बढ़ाव से बलिया और गाजीपुर जिलों के लिये एक खास डर पैदा हो गया है। इलाहाबाद में कल माननीय मुख्य मंत्री जी थे वहां से आज आये हैं। वह वहां पर मौजूद थे जब वहां पर एक मीटिंग थी जो इस ख्याल से बुलाई गयी थी कि दारागंज का जो बांध है और जिसे गंगा काट रही थीं उसकी सुरक्षा की जाय। उसमें तमाम चीफ इंजीनियर्स पी० डब्लू० डी० के भी, सिंचाई विभाग के भी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के भी और कलेक्टर और कमिश्नर इत्यादि सब लोग वहां पर मौजूद थे। दारागंज के बांध पर काम लगा हुआ था। उस बांध को अब इस समय कोई खतरा नहीं है और जो कुछ कार्यवाही होनी चाहिये थी उस पर विशेषज्ञों की राय से वह सब कार्यवाही शुरू कर दी गयी है। पर इस बाढ़ की वजह से देहात के हिस्सों में पानी फैला और खासतौर से गंगा के किनारे के हिस्सों में जो कि नीचे के हैं उनमें भी और दूर तक व्यापक रूप से गांवों में भी पानी फैल गया है, जिसके कारण वहां फसलों को काफी नुक्सान पहुंचा यद्यपि प्राणों की कोई हानि नहीं हुयी पर फसलों को काफी नुकसान पहुंचा और लोगों को हटाने की चेष्टा की जा रही है, जहां-जहां पर खतरा मालूम हो रहा है।

बनारस शहर में भी पानी घुसा है और दशाश्वमेध घाट पर ही नहीं बल्कि उसके निकट चित्तरंजन पार्क तक और विश्वनाथ की गली है वहां तक पानी आया है। रात को भी करीब डेढ़ फुट पानी वहां पहुंचा और गंगा जी का जो गेज बनारस का है और हाइयेस्ट फ्लड लेविल जो सन् १९४८ का है २४३ था जब सबसे बड़ी गंगा की बाढ़ आयी थी आज वहां से जो समाचार मिले हैं करीब १० बजे के उससे यह सूचना मिली कि रात को भी पानी बढ़ा और इस समय भी बढ़ाव पर है और उसका गेज करीब २४० फीट के पहुंच गया है। इसके माने यह है कि हाइयेस्ट फ्लड लेविल जो सन् १९४८ में था उससे करीब तीन फीट नीचे है। शहर में जो बंगाली टोला महाल है उसमें पानी गया है। दशाश्वमेध घाट से जो सीढ़ियां चित्तरंजन पार्क तक हैं यह पानी

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

उसमें भरा है। देहात में भी गंगा जी का जो रकबा है जैसे यूनिवर्सिटी का रकबा है जहां गंगा और गोमती का रकबा है भदोही के कोनिया का है इन हिस्सों में भी कुछ पानी आया है और उन गांवों के लोगों को जहां पर खतरा है या जिनको यह लग रहा है कि खतरा है उनको हटाने का प्रबंध किया जा रहा है।

गाजीपुर में पानी बढ़ा है और खासतौर से गंगा के किनारे के इलाकों में नुक्सान हुआ है। शहर में भी कुछ गंगा जी के कारण थोड़ी बहुत मकानों को क्षति पहुंची। वहां इंतजाम इस बात का हो रहा है। ऐसे शहर के लिये कोई खतरा नहीं है लेकिन देहातों में जहां-जहां नुकसान पहुंचा है वहां के लोगों को हटाने के लिये प्रबंध हो रहा है और कार्यवाही शुरू कर दी गयी है। हां, इतना और निवेदन कर दूं कि कल रात तक गाजीपुर में ८ इंच पानी और बढ़ा था और शहर के किनारे और गंगा के किनारे करीब ५,६ सौ मकानों को क्षति पहुंची है। अभी ऐसा लग रहा है कि गंगा का पानी वहां बढ़ रहा है।

बलिया का मामला मान्यवर, ऐसा है कि यह टाउन बलिया का नीचे में है। आज से कुछ वर्ष पहले कई बार बलिया का शहर गंगा की बाढ़ से बह चुका है। पांच या छः बार बलिया का शहर गंगा से क्षतिग्रस्त हो चुका है। उसकी रक्षा के लिये १९४८ में जब गंगा की बाढ़ आयी तो उसके बाद वहां स्पर्स बनाये गये, टोकर जिन्हें कहेंगे और उनसे गंगा को नगर से डाइवर्ट करने की कोशिश की गयी। इस शहर के चारों तरफ एक बांध भी है कि जब गंगा का पानी आ जाय तो वह रोका जा सके। बलिया की जो सूचना हमें मिली है वह यह है कि शहर के पास पानी पहुंचा है। करीब-करीब २ फुट पानी और बढ़े तो उसके शहर में प्रवेश करने की संभावना है। अभी तक पानी शहर की सतह से डेढ़ दो फीट नीचे होने के कारण दूर है। जो नाला है जिससे कि उसका पानी टोंस में जाता है उस नाले में पानी जा रहा है। खासकर शहर का जो बांध है उसकी सुरक्षा की गयी है और यह उम्मीद की जाती है कि अगर शहर में यह पानी प्रवेश भी करे तो भी कोई खतरा नहीं होने पायेगा। बलिया का शहर कोई कट कर टापू बन जायगा इसका भी खतरा नहीं है। वहां लोग सतर्क भी हैं, पर गांव का जो हिस्सा है गंगा के किनारे उनको कष्ट बहुत है इसमें संदेह नहीं और खासकर बलिया और बरैया बन के बीच के जो गांव हैं उनको हटाने की व्यवस्था की जा रही है। वहां पानी अभी तक नहीं पहुंचा है, पर पहुंच सकता है। इरादा यह हो रहा है कि उनको उठा कर ले आया जाय। सतर्क होने की दृष्टि से बलिया में यह कार्यवाही किये जाने का इरादा है। संक्षेप में जो स्थिति है वह मैंने मान्यवर, आप के सम्मुख निवेदन की।

आज हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी गये हुए हैं बलिया, गाजीपुर और बनारस के इलाकों की तरफ। उनके साथ बाढ़ विभाग के जो चीफ इंजीनियर हैं वह भी गये हुये हैं। रिपोर्ट मेरे पास बराबर आ रही हैं और वह इस इरादे से गये हुए हैं कि जो भी स्थिति उत्पन्न हो उसका मुकाबिला करने के लिये जो भी प्रबंध करना है उसका तत्काल आदेश दें और वह कार्य उसी प्रकार सम्पन्न हो कि जिससे कि इस विपत्ति से हम लड़ सकें। हालत यह है कि जैसे आप बनारस को ही लें या और जिलों की बात लें। एक तरफ तो यह गंगा की बाढ़ है जिससे यह हानि हो रही है और दूसरी तरफ ट्यूबवेल भी चल रहे हैं और नहरें भी चल रही हैं। जो नदी के किनारे के गांव हैं उनमें यह कठिनाई है और जो भीतर का क्षेत्र है वहां पानी की कमी है। यद्यपि कल और परसों में कुछ जिलों में वर्षा हुयी है। सूखे के मुताल्लिक हमें यह समाचार मिला है कि गोरखपुर, देवरिया और बस्ती में भी बुरा हाल है, हालांकि वहां दो दिनों में मघा के नक्षत्र में कुछ जल गिरा है जिससे कि रोपने का कुछ काम शुरू हुआ है। तो एक तरफ यह बाढ़ है और दूसरी तरफ सूखे से कष्ट है लोगों को। जहां तक सिंचाई का मामला है धान के क्षेत्रों में भी हमने ट्यूबवेल चालू कर रखे हैं और अगर पानी अधिक देने की बात होगी तो उस रेट में कमी करने की बात भी हम सोच लेंगे। जिससे उनको बचाने की बात हो। फिर भी इस समय जितना बीज बचाया जा सकता है और रोपण किया जा सकता है उसके लिये प्रबंध कर दिया

गया है। मान्यवर, इस समय सरकार की ओर से इस बाढ़ की परिस्थिति से लोगों को बचाने के लिये जो कुछ भी मनुष्य के लिये सम्भव होगा वह करने में कुछ उठा नहीं रखा जायगा।

माननीय मुख्य मंत्री जी, जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि कल प्रयाग गये और आज वह उस तरफ गये हुये हैं। जो कुछ भी आवश्यक आदेश होंगे उन आदेशों को दिया जायगा। जैसी सरकार की नीति है और जो भी आवश्यक होगा लोगों की रक्षा के लिये वह काम किया जायगा और पैसे रुपये की कमी की कोई परवाह नहीं की जायगी, इस अर्थ से कि हम इस बाढ़ से लड़ सकें। पूरी कार्यवाही सतर्कता के साथ बरती जा रही है और मैं यह आशा करता हूं कि स्थिति हमारे काबू के बाहर नहीं होने पायेगी और जो कुछ भी कठिनाई लोगों को होगी, उससे जहां तक हो सकेगा, बचाने का प्रयत्न किया जायगा। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उनको कठिनाई सम्भवतः होगी, क्योंकि बलिया के कलेक्टर ने बताया है कि एक तरफ तो बाढ़ का खतरा है और दूसरी तरफ सूखा पड़ा रहा है और साथ ही पानी भी बरस रहा है जिससे लोगों को घर से निकालना मुश्किल हो रहा है। किन्तु फिर भी जहां तक हो सकेगा लोगों की सेवा करेंगे और उनको कठिनाई से बचाने के लिये कोई बात उठा नहीं रखेंगे।

एक बात और है और वह यह है कि सुरेमनपुर के इलाके में बलिया का एक हिस्सा है जिसको घाघरा ने काटा है। इस सम्बन्ध में मैं इतना निवेदन करूं कि वह हिस्सा घाघरा से कटता रहा है। वहां पर कोई बाढ़ की बात नहीं है। घाघरा का प्रवाह जिस प्रकार से भूमि को काटता रहता है बाढ़ के अलावा भी इस प्रकार से वह स्थान कटता रहा है। सुरेमनपुर से रेलवे लाइन भी जाती है। आज से ४, ५ महीने पूर्व हमारे इंजीनियरों ने यह रिपोर्ट दी कि सुरेमनपुर की रेलवे लाइन की तरफ भी घाघरा का इरोजन का खतरा बढ़ रहा है और उस स्थान से ५,६ फर्लांग की दूरी पर पानी रह गया है। अगर इसी प्रकार से घाघरा का प्रवाह उस भूमि को काटता रहा और किसी वक्त रेलवे लाइन कट गयी तो उसका परिणाम यह होगा कि बलिया के बीच का हिस्सा जो दोआबा कहलाता है उसके लिये बड़ा भयंकर परिणाम होगा। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि छितौनी जैसी हालत वहां पर हो जाय। जब गंडक ने वहां पर आक्रमण किया तो वह पूरी की पूरी लाइन बह गयी और पडरौना के लिये भयंकर स्थिति सामने आयी कि वह उस सारे इलाके को नष्ट करेगा। डेढ़ महीने पूर्व इंजीनियरों ने यह सूचना दी थी। हमारे माननीय मित्रों ने भी वक्तव्य इस सम्बन्ध में दिये थे और हमारे पास भी सूचना आयी थी। जिन लोगों के वक्तव्य निकले थे मैंने उन सब मित्रों से बातचीत की। उसके बाद हमने तत्काल ही रेलवे मंत्री से और रेलवे के जनरल मैनेजर से टेलीफोन पर बात की और हमने उनसे कहा कि इस रेलवे लाइन को बचाने के लिये आप तुरन्त चेष्टा करें। दोनों ने कहा कि तुरन्त ही अविलम्ब हम स्थिति की जांच करते हैं और उन्होंने यह कहा कि जो कुछ भी मुनासिब कार्य होगा किया जायगा और उनके विभाग से जो कुछ भी सम्भव होगा, वह करेगा। मुझे प्रसन्नता है कि उसके २-३ दिन के अन्दर ही रेलवे के इंजीनियर, जनरल मैनेजर, बाढ़ विभाग के इंजीनियर सब सुरेमनपुर गये और रेलवे लाइन को उन्होंने दूसरी जगह ले जाने का जो नकशा बनाया था उसको समाप्त करके उसी लाइन को बचाने के लिये जो कुछ भी हो सकता था, उन्होंने उठा नहीं रखा। तुरन्त वह कार्यवाही शुरू की जिससे सुरेमनपुर का कटना रुके। आज ३,४ सप्ताह से वहां पर काम हो रहा है और मेरी सूचना यह है कि घाघरा से जो इरोजन सुरेमनपुर में हो रहा था वह रुका हुआ है। जितनी सूचना मुझे मिली है वह मैंने आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दी है और आगे जो सूचना आयेगी उसको भी मैं निवेदन कर दूंगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---श्रीमन्.....

श्री अध्यक्ष---इस पर बहस नहीं हो सकती।

श्री गेंदासिंह---लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब तो इस पर जो भी बहस या बातचीत होगी वह २२ तारीख को हो सकेगी। जैसा कि आपने स्वयं इस बात को सुना माननीय सिंचाई मंत्री जी से कि वहां की समस्या बड़ी गम्भीर है चाहे वह सूखे की समस्या

[श्री गेंदासिंह]

हो या बाढ़ की समस्या हो उनके वक्तव्य से यह भी मालूम होता है कि बहुत सी बातों की जानकारी सरकार को नहीं है। तो सरकार जानकारी हासिल करें जहां स्वायल इरोजन (soil erosion) का या गांव के कटने का पूरा नकशा हमारे सामने नहीं है वहां के बारे में और बड़हलगंज .....

श्री अध्यक्ष--इसके बारे में मैं खुद इस बात का सुझाव दे रहा था कि २२ तारीख को इसके ऊपर विवाद होगा, उस समय माननीय सदस्य अपनी-अपनी जानकारी सदन को बतला दें। इस बीच में, ६-७ दिन हैं, माननीय सदस्य अगर यह करें कि जो जानकारी उनके पास मौजूद हैं और जो इस बीच में हासिल होती जाय उसको तथा साथ-साथ अपने सुझाव मंत्रि मंडल के पास भेज दें तो उसके ऊपर उचित कार्यवाही, सरकार करती रहेगी। इस प्रकार सरकार को सदस्यों से सूचना तो कम से कम मिल ही जायगी और फिर २२ तारीख को सरकार भी कार्यवाही की सूचना सदन को देने में समर्थ होगी। अगर कोई कार्यवाही नहीं होगी तो माननीय सदस्य भी सरकार की उपेक्षा पर टीका-टिप्पणी कर सकेंगे। यह एक तरीका मैं सुझाव के तरीके से माननीय सदस्यों को देता हूं। उस समय तो इस विषय पर विवाद नहीं होगा। जो शंका आपने की कि इस बीच में क्या होगा, उसके लिये रास्ता मैंने बतला दिया है।

*उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (जीवन बीमा) (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५६

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (जीवन बीमा) (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५६, पर विचार जाय।

अध्यक्ष महोदय, इस कानून के जरिये से वह स्थिति जो लाइफ इंशोयरेन्स एमरजेन्सी प्रावीजन्स ऐक्ट, १९५६, के जरिये से और उसके पहले जो केन्द्रीय सरकार के आर्डिनेन्स के जरिये से हुई थी उसके इलाज के लिये यह कानून पेश किया गया है। माननीय सदस्य यह जानते हैं कि इस किस्म के कई कानून इस विधान सभा में आ चुके हैं जिनके जरिये से डिसक्वालीफीकेशन जो मेम्बरों के किसी ऐसे ओहदे पर काम करने से हो सकती थी जिसका ताल्लुक सरकार से होता है, उसे हटाया जाता है चूंकि बहुत से ऐसे सदस्य हैं जो लाइफ इन्शोयरेन्स की बिजनेस में दिलचस्पी रखते हैं।

(इस समय १२ बज कर १३ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुये।)

और उससे उनका ताल्लुक है तो यह ख्याल किया गया कि अगर लाइफ इन्शोयरेन्स को नैशनलाइज कर दिया गया है तो उसके बाद वे सदस्य अगर इस किस्म का कोई बिजनैस करेंगे तो वह आफिस आफ प्राफिट हो जायगा और गोया सरकार से किसी किस्म का मुनाफा होने के बराबर होगा। ऐसी सूरत में यह मुमकिन है कि दफा ९१ में वे डिसक्वालीफाई हो जावें। चुनांचे केन्द्रीय सरकार ने इस बात के इलाज के लिये खुद अपना जो कानून बनाया था, यानी लाइफ इंशोयरेन्स एमरजेन्सी प्रावीजन्स ऐक्ट, १९५६, उसमें दफा १५ के जरिये से वहां यह कानून हो गया कि जो कोई शख्स लाइफ इंश्योरेन्स के बिजनैस में दिलचस्पी लेगा अगर वह हाउस आफ पार्लियामेन्ट का मेम्बर होगा तो उसकी वजह से वह डिसक्वालीफाई नहीं होगा। इस कानून के बनने के बाद यह जरूरी महसूस हुआ कि पार्लियामेंट के मेम्बर तो मुस्तसना हो गये लेकिन सूबे की विधान सभा के सदस्य उससे मुस्तसना नहीं हुये। इस बात को रफा करने के लिये और इस फर्क को मिटाने के लिये यह कानून इस विधान सभा में पेश किया गया है।

---

*१ अगस्त, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

जहां तक माननीय सदस्यों का ताल्लुक है मालूम यह होता है कि उनको इससे कोई खास मुखालिफत नहीं है। इस कानून में सिर्फ एक तरमीम आयी है जिसमें यह लिखा हुआ है—"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जो व्यक्ति अधिनियम ९, १९५६ के लागू होने के बाद इस व्योपार में किसी लाभ के पद पर आसीन हुए हों यह अनर्हता उन पर लागू रहेगी।" तो यह बात तो खुली हुई है कि इस तरह के जो इंश्योरेन्स के काम करते थे उनके ऊपर लागू होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि उस वक्त यह सरकारी कंपनी नहीं थी, एक प्राइवेट कंपनी थी। किसी भी माननीय सदस्य को यह अधिकार था कि वह किसी भी प्राइवेट कंपनी में हिस्सा ले, दिलचस्पी ले। उसके बाद के लिये यह कानून लाया गया है जब से यह इंश्योरेन्स बिजनैस नैशनलाईज किया गया है और जिसके बाद से यह खतरा पैदा हो गया है। यह कानून ही इसलिये लाया गया है कि इसकी वजह से जो डिसक्वालीफिकेशन होती है वह न होने पाये। यह बहुत सीधा साधा कानून है, इसमें किसी किस्म की मुखालिफत की बात नहीं है जिसकी वजह से कोई एतराज किया जा सके। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि इस पर विचार किया जाय।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, यह विधेयक एक ऐसे प्रश्न स संबंध रखता है जिसको संविधान के आर्टिकिल १९१ के अनुसार आफिस आफ प्राफिट कहा जाता है और किसी भी सदस्य को किसी भी आफिस आफ प्राफिट के ग्रहण करने से एक प्रकार से स्वतः डिसक्वालीफिकेशन प्राप्त हो जाती है जिसके कारण कोई भी सदस्य विधान सभा का सदस्य नहीं रह जाता। अब इस सदन में जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसके सिद्धान्तों से तो किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। वास्तव में हमने तो पहले भी यह मांग की थी कि आफिस आफ प्राफिट क्या है, इसकी स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिये और ऐसा भी नहीं होना चाहिये कि सरकार बराबर विधेयक रख कर बिना आफिस आफ प्राफिट निश्चित किये, बाद में विधान के अनुसार डिसक्वालीफिकेशन को हटाने के ऐक्ट में संशोधन करती रहे। आफिस आफ प्राफिट क्या है और किन-किन विषयों में वह लागू होता है ऐसी एक मर्यादा निश्चित की जा सकती है ताकि विधान सभा के सदस्य उन पदों पर कार्य न कर सकें। लेकिन इस प्रकार की मर्यादा न बांध कर बाद को डिसक्वालीफिकेशन को हटाना यह युक्ति संगत नहीं है।

श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, आप इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों को देखें। वह उसके विपरीत पड़ता है जो कुछ माननीय मंत्री जी ने कहा। इसी सदन में १९५२ में जो अनर्हता निवारण विधेयक पास हुआ था उसके पैरा ३ में यह लिखा हुआ है—

"उत्तर प्रदेश विधान मंडल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत यह घोषित किया जा चुका है कि भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की आज्ञा के अधीन या उसके द्वारा नियुक्त अथवा कसी विधायन या नियम के अधीन या उसके द्वारा संगठित या स्थापित किसी कमेटी या बोर्ड के चेयरमैन या सदस्य का पद लाभप्रद नहीं समझा जायगा यदि उस पर अध्यासीन व्यक्ति केवल प्रति कर भत्ता पाता हो।" तो इस उद्देश्य और कारण के अनुसार केवल यही आवश्यक था कि बजाय एक नया विधेयक लाने के उसी सन् ५२ के विधेयक में कुछ अमेंडमेंट कर दिया जाता और उसमें एक नया क्लाज बढ़ा दिया जाता। ५२ वाले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

ऐक्ट में है कि इन्श्योरेंस स्टेट इम्प्लाइज कारपोरेशन जो होगा उनके कर्मचारियों को आफिस आफ प्राफिट के अन्दर नहीं माना जायगा। माननीय मंत्री जी इस बात को समझा नहीं सके कि जब सन् ५२ वाले ऐक्ट में यह चीज मौजूद है और इसे सदन ने पास किया है और उसमें हम कुछ अमेंडमेंट कर सकते थे, तो फिर इस प्रकार एक नये विधेयक लाने की क्या आवश्यकता पड़ी। मुझे यह प्रतीत नहीं हुआ और न माननीय मंत्री जी ने ही इस बात को स्पष्ट किया कि इस प्रकार अलग से यह अनर्हता निवारण विधेयक, सन् १९५६ लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और फिर इसमें जो आफिस आफ प्राफिट के डिस्क्वालीफिकेशन की शर्त रक्खी गयी है इसको रेट्रास्पेक्टिव एफेक्ट नहीं दिया गया है यानी यह विधेयक जो लागू होगा वह उस दिनांक से लागू होगा जिस दिन ऐक्ट पारित हो जाय। मेरे विचार से जिस तारीख को कारपोरेशन स्थापित हुआ है उसी दिन से जो कारपोरेशन के कर्मचारी हैं वे सारे एक प्रकार से सरकारी कर्मचारी हो गये और उसी दिन से जिन लोगों को भी आफिस प्राफिट के अन्दर आना पड़ता है सदन के एक.ध सदस्य भी हो सकते हैं, वे भी उसी दिन से आफिस आफ प्राफिट की परिभाषा के अन्दर आते हैं। जिस तारीख को केन्द्रीय सरकार ने आर्डिनेंस निकाला और उसके जरिये कारपोरेशन की स्थापना हुई तो इस विधेयक में एक कमी यह भी रह गयी है कि अनर्हता निवारण के लिये रेट्रास्पेक्टिव एफेक्ट (Retrospective effect) देने का कोई प्रोवीजन नहीं रखा। तो ये दो मुख्य कारण हैं जैसा मैं इस विधेयक को समझा हूं वैसे तो मैं सिद्धान्ततः इसका समर्थन करता हूं।

*श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, जहां तक यह विधेयक है, इसके बारे में दो रायें नहीं हो सकती। इससे मैं सहमत हूं और यह आवश्यक भी था अपनी जगह पर कि इस तरह का विधेयक लाया जाय। मान्यवर, मैं माननीय नारायणदत्त जी की यह बात समझने का प्रयास कर रहा था और यह चाहता था कि समझूं कि किस तरह से वे चाहते हैं कि आफिस आफ प्राफिट को डिफाइन कर दिया जाय। मान्यवर, बात तो यह है कि उनको एक शिकायत माननीय मंत्री महोदय से यह थी कि यह कहीं अच्छा होता कि आफिस आफ प्राफिट को एक मर्तबा डिफाइन कर दिया जाय ताकि आइन्दा या भविष्य में चल कर इस तरह की कठिनाई न उत्पन्न हुआ करे। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में पहली बात यह होती है कि यह आफिस आफ प्राफिट जो है इसका सम्बन्ध कांस्टीट्यूशन से है। इससे उसका कोई मतलब नहीं है। माननीय नारायणदत्त जी यह चाहते हैं कि आफिस आफ प्राफिट को एक मर्तबा डिफाइन कर दिया जाय ताकि आइन्दा चल कर उनको कोई दिक्कत न हो। तो अगर मेरे लायक दोस्त इस बात को समझने की कोशिश करते कि न यह हमारे इस सदन के अधिकार क्षेत्र में हैं, न उनके स्कोप में हैं कि इस तरह की कोई परिभाषा कर सकते हैं। यदि एसा होता तो सम्भवतः उनकी शिकायत रफा हो जाती। तो इस वजह से कि माननीय मंत्री महोदय को ज्यादा जबाव न देना पड़े और बहुत सी दलीलें जो माननीय नारायणदत्त जी ने उपस्थित कर दी है, मेरी समझ में उनको गलतफहमी है और यह बिल जिस रूप में आया है उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा जा सकता और कई बार इस प्रकार की बातें कहीं गई कि जहां तक इस सदन का सम्बन्ध है हम संविधान को संशोधित नहीं कर सकते। दूसरे किसी भी मुल्क में ऐसा नमूना नहीं मिलेगा जहां पर स्ट्रिक्टली आफिस आफ प्राफिट को डिफाइन कर दिया जाय, बहुत सी पोस्ट ऐसी हैं कि चूंकि वह आज तक है ही नहीं और बाद में आगे कभी क्रिएट होंगी और तब उस स्थिति में कहा जाय कि लेजिस्लेशन उस चीज को फोरसी करे कि कौन सी पोस्ट आगे क्रिएट होंगी और वह आफिस आफ प्राफिट मानी जायगी या नहीं। तो यह तो असम्भव है। दूसरे उन्होंने कहा कि रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट (Retrospective effect) नहीं दिया गया है। मैं समझता हूं कि यह शिकायत निराधार है क्योंकि जब प्राइवेट कम्पनीज थीं तो हर माननीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदस्य को पूर्ण अधिकार था कि वह उस काम को कर सके, लेकिन जब से उन का नेशनेलाइजेशन हुआ है तब से यह डिसक्वालीफिकेशन हो सकती है और अब उस ऐक्ट में....

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गई और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अवधेशप्रताप सिंह—मान्यवर, सम्भवतः ऐसा मालूम होता है कि इस बिल को कोई पारित करना नहीं चाहता या माननीय मंत्री महोदय अपनी तरफ के लोगों को काफी समझा नहीं पाये हैं कि क्या इसकी अहमियत है और इसी वजह से कभी उधर के लोग लाबी में भागते हैं या कुछ लोग घर पर आराम करने चले जाते हैं। हमारे लायक दोस्त का कहना है कि वह व्याख्यान नहीं सुनना चाहते, अच्छा होता वह कुछ भी न सुनते, उनको नाखुशी न पैदा हो और वह मुझ से क्रुद्ध न हो, लेकिन उनको शिकायत क्यों है वह तो उस पक्ष के हैं और भगवान की अनुकम्पा से वह इतनी तादाद में हैं कि उनको व्याख्यान सुनने से और देने से कोई ताल्लुक नहीं है, वह तो तब की बात है जब उन को अहसास हो कि हम यहां किसलिए आए हैं, खुदा की फजल से तादाद इतनी लम्बी चौड़ी है कि उनको किसी तरह की कठिनाई का अहसास नहीं है, वह जानते हैं कि सब काम हाथ उठाने से चल जाता है, लेकिन मेरी समझ में जब उनको बोलने या सुनने में इतनी आपत्ति है तो उनका सदन में आना ही बेकार था।

*श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय, यह इन्श्योरेंस बिल जो हाउस में पेश हुआ है मैं उसका समर्थन करता हूं। देश में जितना लाभ सरकार को जमींदारी अबालिशन से नहीं हुआ उससे अधिक इन्श्योरेन्स कम्पनीज के नेशनालाइजेशन से हुआ है। कुछ माननीय सदस्य इन्श्योरेन्स के कार्य को करते हैं और उन पर जो एक रुकावट है इसके करने की उसको हटाने के लिए सरकार ने सोचा और उसी के लिये यह बिल पेश किया गया है। श्री नारायणदत्त तिवारी जी ने कहा कि डिस्क्वालीफिकेशन को लिमिट कर दिया जाय। मैं जानना चाहता हूं कि आगे दुनिया में हमेशा कानून बदलते रहेंगे और बदलते रहे हैं। आज जरूरत पड़ गई ४१ की जो धारा है उसमें तब्दीली हो डिस्क्वालिफिकेशन हटाने के लिये—इसलिये यह बिल लाया जा रहा है। कोई पर्मानेन्ट ला नहीं हो सकता। हमेशा ला में चेंजेज होते हैं।

श्री रामसेवक यादव—उपाध्यक्ष महोदय कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि कोरम कायम रखने के लिये विशेष प्रयत्न की आवश्यकता है वर्ना सदन को एडजर्न करना पड़ेगा।

(घंटी बजायी गई और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री शिवनारायण—मान्यवर, तो मैं बतला रहा था कि इंश्योरेंस बिल जो हमारे सामने है आफिस आफ प्राफिट से लोगों को निजात दिलाने वाला है वह निहायत उत्तम है। यह क्यों लाया गया इससे बहुत से गरीब मेम्बर जो इस बिजनेस को करते हैं और दूसरे यह राष्ट्रीय काम है' क्योंकि इंश्योरेंस का बिजनेस नेशनलाइज हो चुका है—वे लोग इसको कर सके। दूसरी बात यह है कि थोड़ी-थोड़ी तनख्वाह पाने वाले जो इससे पैसा कमाते हैं लोगों का इंश्योरेंस कराने पर उनके लिये गवर्नमेंट रिस्पांसिबिल हो जाती है और नेशनल वर्क

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवनारायण]

लिये पैसा भी जमा हो जाता है। जो पैसा वे कमाते हैं वह उनके बुढ़ापे में काम आता है और जो लोग काम करते हैं उनको सरकार कुछ पैसा देती है। देश का भी इससे डेवलपमेंट हो सकता है। नेक्स्ट फाइव इयर प्लान चल रहा है। हर इंसान अगर इंश्योरेंस करा लें तो करोड़ों रुपया गवर्नमेंट को मिल सकता है बिना किसी दबाव के। मैं समझता हूं कि यह बड़ा पवित्र काम है और इस बिल को बिना किसी रुकावट के पास करना चाहिये। इस लिये मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत है मैं उसका समर्थन करता हूं। यह आवश्यक था कि इस तरह का विधेयक लाया जाय। हमारे इस सदन में भी कितने ही ऐसे सदस्य होंगे जो इंश्योरेंस के काम में लगे होंगे। अगर यह विधेयक नहीं लाया जाता है तो वह डिस्क्वालिफाई (disqualify) हो जाते हैं और इस सदन के सदस्य रह सकें। इसलिये यह आवश्यक था कि इस बिल को लाया जाता। इस तरह से लोक सभा में भी एक विधेयक लाया गया था और उनकी जो अयोग्यता थी उससे वह दूर की गई। यहां आक्षेप यह किया गया है चूंकि सदस्य होने के लिये यह आवश्यक है कि वह सरकार से ऐसा कोई काम या पद न ले जिसमें प्राफिट हो, जिससे लाभ उठाता हो, वह ऐसा काम नहीं करेगा। अगर सरकार से प्राफिट उठायेगा तो वह सदस्य नहीं हो सकता। ऐसा एक कानून है। विरोधी दल की तरफ से यह भी कहा गया कि क्या प्राफिट है इसको भी एक मर्तबा डिफाइन कर दिया जाय, लेकिन मैं समझता हूं कि उसकी तारीफ करना बिल्कुल असंभव सी है। यह तो सिद्धान्त है ही कि जो सदस्य विधान सभा हों वे कोई ऐसा स्थान या पद जिसमें प्राफिट हो ग्रहण न करते हों। मगर अब जैसे-जैसे आवश्यकता पड़ती जाती है वैसे-वैसे ऐक्ट में संशोधन होता रहता है। संसार में सदैव परिवर्तन होता रहता है। सदैव परिस्थिति बदलती रहती है। ऐसी परिस्थिति में जैसे जब आवश्यक होगा तब यह अयोग्यता हटाई जा सकती है, जैसा अभी हुआ। आज इंश्योरेंस का जो इतना भारी बिजनेस चल रहा था इसको सरकार ने नेशनेलाइज कर दिया और जब नेशनेलाइज कर दिया तो पहले जितने भी माननीय सदस्य इसमें दिलचस्पी रखते थे या इससे सम्बन्ध रखते थे, या इसमें काम करते थे तो उनके लिये तो पहले जो जायज था वह अब नाजायज हो जाता है। इस लिये जब यह आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने यह अयोग्यता हटाई। तो इसी लिए इसकी डैफीनीशन करना, एक हमेशा के लिए ऐसी तारीफ कर देना कि कौन-कौन से काम प्राफिट में आते हैं और कौन-कौन से नहीं आते हैं। यह एक बड़ा मुश्किल और असम्भव सा काम है। यह तो जैसी परिस्थिति होगी वैसे ही वैसे जिस काम को आवश्यक समझा जायगा कि यहां पर यह किया जाय, यह अनर्हता हटा दी जाय या यह कर दिया जाय, उस तरह से किया जायगा।

नेशनालाइज करने में सरकार ने बहुत बड़ा काम किया। इसके होने से जितना रुपया मिला उससे हमारी दूसरी पंच वर्षीय योजना को काफी सहायता मिली। इसके साथ साथ जितने इंश्योरेंस के कार्य थे हर कहीं प्राइवेट कम्पनियां जितनी गड़बड़ियां किया करती थीं, वह उनका गड़बड़ी करना भी दूर हुआ जैसे अभी भारत सरकार ने जांच की। डालमियां ने भारत इंश्योरेन्स में इसी तरह की गड़बड़ी की थी। सरकार ने जाँच करके वह रुपया उनसे वसूल कर लिया। तो इस तरह से जो काम जनता के लाभ के लिए हैं वह काम सरकार सदैव करती रहेगी। अगर ऐसी आवश्यकता पड़ेगी कि ऐसे विधेयक लाये जायं जिनसे अनर्हता दूर की जाय तो वह भी किये जायेंगे। इसलिए उनका यह कहना कि प्राफिट की डैफीनीशन एक दम कर दी जाय, और फिर उसमें परिवर्तन न हो यह आज कल के जमाने में प्रगतिशील जमाने में ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पुनः समर्थन करता हूं।

श्री रामसेवक यादव--उपाध्यक्ष महोदय, जो आज इस सदन के सामने प्रस्तुत विधेयक है यह संभवतः नया जो इंश्योरेंस ऐक्ट पास हुआ है नेशनलाइजेशन करने के लिए उससे उत्पन्न जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसी को दूर करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। मैं इसका विरोध करता हूं और इस लिए उपाध्यक्ष महोदय, कि आज राजनीति में कुछ लालच सी बढ़ती चली जा रही है। सदन के सम्मानित सदस्य होते हुए भी लोग चाहते हैं कि कुछ नफा का रोजगार करें, कोई पेशा करें और उसमें फिर पूरा ध्यान उनका सदन के कार्यों की ओर से नहीं जा पाता है। आज मैं आपका ध्यान इस ओर ले जाना चाहूंगा कि जो इस वक्त टिकट बांटने की प्रथा चली हुई है पार्टियों में तो आज हर तरह से लोग जो वकालत करते हैं या अन्य कोई पेशा करते हैं, शायद उनको राजनीति से सदन के कार्यों से कोई रुचि नहीं है, परन्तु सदन की सदस्यता और उनके पेशे में कोई टकराव नहीं है, कोई झगड़ा नहीं पड़ेगा इस लिए चाहते हैं कि अगर दोनों ही चीजें मिलें तो बड़ा सुन्दर हो। तो उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम चाहते हों कि स्वस्थ राजनीतिक परम्परायें इस प्रदेश में चलें और जो सदन के सम्मानित सदस्य हों वह सिर्फ एक ही प्रकार का कार्य करें अपने क्षेत्र में रहें और ठिकाने के साथ देश की राजनीति को चलायें तो इसके लिए कुछ प्रबन्ध होना आवश्यक है और उनको इस तरह की छूटें न मिलनी चाहिए। आज जो इस सदन का रवैया है कि जिस प्रकार किसी सम्मानित सदन के सदस्य को या पूरे सदन को कोई सुविधा या व्यवस्था दी जाती है तो उसमें बड़ी जल्दी से उसका समर्थन हो जाया करता है, यह एक ही तरफ एक विशेष विचार धारा और एक विशेष परिस्थिति की ओर हम लोगों का ध्यान दिलाता है। इसी सम्मानित सदन ने एक बार यह पास किया कि अगर हाजिर भी न हों नौ दिन तक, नौ दिन तक की गैर हाजिरी के बाद भी दसवें दिन हाजिर हो कर, दसों दिन का भत्ता मिलें। इस तरह की सुविधायें.....

श्री शिवनारायण--प्वाइंट आफ आर्डर। यह नौ दिन वाले का इससे क्या सम्बन्ध है? माननीय सदस्य नौ दिन और दस दिन की बात कर रहे हैं। उससे इस बिल का कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--वह किसी विशेष मनोवृत्ति की बात कर रहे हैं।

श्री रामसेवक यादव--यह इस बात का परिचायक है कि जिसमें सदन के और बाहर के जितने लोग हैं उनके दिलों में यह बात उठती चली जा रही है, एक विशेष प्रकार की जाति या समुदाय सदन के सदस्यों का बनता चला जा रहा है। इस प्रकार एक सुविधा के बाद दूसरी सुविधा लेते चले जायं यह मैं समझता हूं एक स्वस्थ राजनीति परम्परा और देश सेवा का जो एक अच्छा सा सिद्धान्त रहा है उसके यह प्रतिकूल है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। दूसरी बात, कि यह सदन पहले ही सन् १९५२ में इसी प्रकार का एक विधेयक पास कर चुका है। यदि माननीय मंत्री महोदय या यह सदन लालायित ही है कि इस तरह से कोई सुविधाएं ली ही जायं तो कोई आवश्यकता नहीं थी कि इस तरह से कोई दूसरा विधेयक लाया जाता। उसी में कुछ परिवर्तन कर दिये जा सकते थे जिससे शायद इसका मंशा भी पूरा हो जाता। इसलिए मैं दोनों ही दृष्टिकोण से, पहले तो यह कि इस तरह से माननीय सदस्यों को कोई सुविधा देने की जरूरत नहीं है। यदि हम चाहते हैं कि इस सदन के माननीय सदस्य गण जो आज उपस्थित हैं या अन्य कभी भी आयें तो वह ठिकाने से सही रूप में इस प्रान्त का पथ-प्रदर्शन कर सकें, देश को एक सुन्दर राजनैतिक स्वस्थ व्यवस्था दे सकें, यह जरूरी नहीं है कि उनको ऐसी सुविधायें दी जायें, बल्कि कुछ प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है। आज उसके विपरीति हम विशेष सुविधायें देते चले जा रहे हैं और दूसरी बात यह है कि सन् ५२ का ऐक्ट होते हुए इस के लाने की आवश्यकता नहीं थी। उसी में परिवर्तन करके अगर मंत्री महोदय या सदन के सदस्य चाहें तो उसी में सुविधायें दी जा सकती थीं। इसलिये मैं इसका भी विरोध करता हूं।

*श्री जगन्नाथमल्ल--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है मैं भी इसको अनावश्यक समझता हूं। इसलिए कि जैसा अभी-अभी नारायणदत्त जी ने बताया कि और बहुत से इस किस्म के अधिनियम हैं, उन्हीं में संशोधन करने की जरूरत थी, एक अलग से इस तरह का विधेयक लाकर आमदनी को बढ़ाना अच्छा नहीं मालूम होता। इसलिए मैं समझता हूं कि इस विधेयक की कोई बहुत आवश्यकता नहीं थी।

जहां तक इसके उद्देश्य का सम्बन्ध है, मैं श्रीमन्, उद्देश्यों से सहमत हूं। माननीय सदस्य ने अभी कहा कि इसके उद्देश्यों से भी सहमत नहीं हैं, मेरी समझ में नहीं आया कि उद्देश्यों से क्यों नहीं सहमत हैं। मैं नहीं समझता कि इसमें बहुत रुपये की सुविधा मिल रही है। इसके उद्देश्यों में साफ-साफ लिखा है कि अगर्चे सरकार किसी माननीय सदस्यों को कोई ऐसी कमेटी बनती है जो कि इंश्योरेंस से संबंधित है, उसमें नामिनेट करती है, उसमें उनको कोई ट्रैवलिंग अलाउन्स या इस किस्म का अलांउस मिलता है तो उनके ऊपर कोई ऐसी चीज न हो जाय कि वह फिर इस विधान सभा में चुनने के लिए डिसक्वालिफाइड घोषित हो जायं, आफिस आफ प्राफिट में आ जायं। इसलिए मैं समझता हूं कि यह जो विधेयक में लाया गया इसकी तो आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इसका उद्देश्य ठीक है।

और भी है, श्रीमन्, जैसा कि बहुत से पब्लिक वर्कर रहे हैं, इंश्योरेंस का काम करते रहे हैं, अपनी उन्होंने एजेंसी ले ली और एजेंसी के तौर पर कहीं कनवेंसिग किया, उससे उनको पैसा मिल रहा है तो उनके काम में भी कोई दिक्कत नहीं होती और उससे जीविका का भी उपार्जन करते रहे। इसलिए इसमें कोई ऐसी चीज नहीं। अगर वहां भी वह कमीशन लेंगे, तो अब जो इंश्योरेंस कम्पनीज को नेशनलाइज कर लिया गया, अगर वह पैसा लेंगे तो श्रीमन्, बड़ी दिक्कत हो जायगी। वह डिसक्वालिफाइड समझे जायेंगे और इस किस्म का कोई प्राविजन हमने नहीं रखा। यह सही है कि जो माननीय सदस्य इस सदन में मौजूद हैं कोई ठीक नहीं है कि वही चुन कर चले आवें। तो इस किस्म की अगर एजेंसी वह चलाते हैं तो कोई गलत काम नहीं करते। लेकिन यह जरूर है कि जब तक माननीय सदन के सदस्य हैं तब तक उनको अपनी जीविका के लिए यह काम नहीं करना चाहिये, लेकिन उसके एजेंट बने रहें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि फिर एजेंट बनने में दिक्कत होती है, उसमें कई खाने होते हैं वह भरने पड़ते हैं, लाइसेंस का झगड़ा होता है। तो इस किस्म का अमेंडमेंट अगर उन्हीं ऐक्टों में किया गया होता तो अच्छा होता बजाय इसके कि कोई नया ऐक्ट इस सदन में प्रस्तुत किया जाय।

इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री इस विधेयक को वापस लेंगे और जो आलरेडी कानून है उसी में संशोधन करने की कृपा करेंगे।

श्री सैयद अली जहीर--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि जहां तक कि इस विधेयक का ताल्लुक है इसके उद्देश्य से हर शख्स मुत्तफिक है और कोई बड़ा एतराज इस कानून पर नहीं किया गया।

सिर्फ दो बातें कहीं गई हैं। एक तो यह कि इसको पुराने ऐक्ट में रख कर जो मकसद हासिल करना है वह कर लिया जाता। यह ठीक है अगर किसी पुराने ऐक्ट में तरमीम की जाती तो पैबंद ऐसा मालूम होता कि यह ऐक्ट तो पास हुआ १९५२ में और जरूरत पड़ी १९५६ में तो बजाय इसके कि नया ऐक्ट लाया जाता, १९५६ में जो कार्यवाही हुई जायज समझी जायगी और डिसक्वालिफिकेशन दूर की जाती है। यह एक ऐसी चीज थी जो किसी भी तरह से मुनासिब नहीं होती और न इस तरह से होता है १९५६ तक जब तक कि केन्द्रीय सरकार ने फैसला नहीं किया था कि इंश्योरेंस बिजनेस नैशनलाइज किया जाय। उससे पहले हर शख्श कर सकता था और लोग किया करते थे और केन्द्रीय सभा तथा हमारे यहां के मेम्बर्स भी करते थे। लेकिन १९५६ में जब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस को नेशनेलाइज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया तो जरूरत महसूस हुई कि एक कानून लाया जाय और यह डिसक्वालीफिकेशन (disqualification) जो कांस्टीट्यूशन की रू से होती है, हटा दी जाय। चुनांचे इस कानून की जरूरत महसूस हुई और वह लाया गया।

इसके अलावा जहां तक कानून की जरूरत है या नहीं या इसकी वजह से गवर्नमेंट चाहती है कि मेम्बरान नाजायज तौर पर फायदा उठायें, मैं यह कहूंगा कि यह कानून के माने नहीं है कि जो नहीं करते हैं वह भी करें या हम तरगीब दे रहे हैं किसी ऐसे काम की जिसको वह नहीं करना चाहते हैं उसको किया करें। यह तो एक इजाजत है कि जो लोग इस काम को करते आये हैं या आयन्दा करना चाहेंगे, ऐसी चीज कर सकते हैं। नेशनेलाइज हो जाने से यहां के सदस्य महरूम न हो जायं और उनके ऊपर डिसक्वालिफिकेशन न आयद हो जाय, इस के लिये यह बिल लाया गया है। यह तो एक इजाजती कानून है और मेरे खयाल में कोई एतराज सही नहीं किया गया और इसको पास होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (जीवन बीमा) (अनर्हता निवारण) विधेयक १९५६ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (जीवन बीमा) (अनर्हता निवारण) अधिनियम, १९५६ कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्षक और नाम

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा। प्रारम्भ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

२--विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में-- परिभाषा।

(क) पद "केन्द्रीय सरकार" का अर्थ वही होगा जो जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १८९७ में पद "Centrald Government" को दिया गया है, और

(ख) पद "नियंत्रित व्यापार" और "बीमाकर्त्ता" का अर्थ वही होगा जो लाइफ इन्श्योरेंस (इमरजेंसी प्राविजन्स) ऐक्ट, १९५६ में क्रमशः पद "Controlled business" और "insurer" को दिया गया है। अधिनियम ९, १९५६।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३

३--एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी ऐसे बीमाकर्त्ता (insurer) के अधीन, जिसके नियंत्रित व्यापार का प्रबन्ध लाइफ इन्श्योरेंस (इमर्जेन्सी प्राविजन्स) ऐक्ट, १९५६ के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गया हो, लाभ के किसी पद (office of profit) पर आसीन हो, उत्तर प्रदेश विधान मंडल के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने अथवा रहने के लिये अनर्ह (disqualified) न होगा और न उसके सम्बन्ध में यही समझा जायगा कि वह एतदर्थ कभी अनर्ह रहा था। राज्य विधान मंडल की सदस्यता सम्बन्धी अनर्हता का निवारण।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक तथा प्रस्तावना

किसी ऐसे बीमाकर्त्ता (insurer) के, जिसके नियंत्रित व्यापार का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार में निहित हो गया हो, अधीनस्थ लाभ का कोई पद, उस पद पर आसीन किसी व्यक्ति के उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए, उसे अनर्ह न करेगा, इस आशय की घोषणा करने का

विधेयक

यह घोषित करना आवश्यक है कि किसी ऐसे बीमाकर्त्ता (insurer) के, जिसका नियंत्रित व्यापार का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार में निहित हो गया हो, अधीनस्थ लाभ का कोई पद, उस पर पद आसीन किसी व्यक्ति के उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिये, उसे अनर्ह न करेगा;

अतएव भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है---

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि शीर्षक और प्रस्तावना इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सैयद अली जहीर--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (जीवन बीमा) (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५६, पारित किया जाय।

श्री रामसेवक यादव--उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने....

श्री व्रजभूषण मिश्र--प्वाइंट आफ आर्डर। कोई तरमीम इसमें स्वीकृत नहीं हुई है और न कोई पेश ही हुई है। मैं समझता हूं कि अब जो भाषण होगा वह तरमीम ही से सम्बन्धित होगा। तो जब कोई तरमीम ही नहीं है तो यह भाषण कैसे हो सकता है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--थर्ड रीडिंग में विरोध कर सकते हैं। इसलिये माननीय सदस्य इन आर्डर हैं।

श्री रामसेवक यादव--प्रस्तुत विधेयक पर बोलते हुये और एतराजों का जबाव देते हुये मंत्री महोदय ने पहली बात तो यह कहीं कि इसमें आफिस आफ प्राफिट की कोई जरूरत नहीं है और न हम किसी को कोई विशेष फायदा पहुंचाना चाहते हैं। यह बात सही है कि डायरेक्ट वे में तो किसी प्रकार का फायदा नहीं पहुंचता है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में तो पहुंच ही जाता है। लोगों को रागिब नहीं करते हैं लेकिन लोगों को प्रोत्साहन जरूर मिलेगा। लोग सोचेंगे, कि जब कोई प्रतिबन्ध नहीं है तो फायदा उठा लिया जाय तो क्या हर्ज है।

दूसरी अजीब बात माननीय मंत्री जी ने यह कही कि सन् ५२ में कानून बना और ५६ में नेशनलाइजेशन का कानून बना, तो अब इसमें कैसे परिवर्तन हो सकता है। यह कुछ दलील समझ में नहीं आयी।

श्री शिवनारायण--पेवन्द कहा गया है।

श्री रामसेवक यादव—लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट तो पुराना था उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन जमींदारी एबालिशन ऐक्ट के पास होने के बाद पंचायत राज ऐक्ट जो बाद को पास हुआ और इस तरह के तमाम ऐक्ट होंगे जिनमें तरमीम की गयी। तो मैं नहीं समझता कि कौन सी कानूनी अड़चन इसमें आती है। या तो कोई विशेष एतराज बताया होता कि ५२ के कानून में इस वजह से नहीं ला रहे हैं, लेकिन यह दलील कि सन् ५२ का कानून और ५६ का नेशनलाइजेशन कानून में इस लिये परिवर्तन नहीं हो सकता, तो इस तरह के तो माननीय मंत्री महोदय ने खुद तमाम कानून बनाये होंगे। इसलिये मैं फिर यही निवेदन करूंगा कि अगर इस तरह से चाहते हैं तो कानून लाकर उसमें संशोधन कीजिये तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री सैयद अली जहीर—अगर लोगों की समझ में मेरी बात नहीं आयी तो मैं क्या कहूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल सदस्य (जीवन बीमा) (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५६, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बज कर १४ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २४ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९५६

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९५६, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस विधेयक के देखने से मालूम होगा कि कुछ कानून ऐसे हैं कि जिनकी जरूरत अब बिल्कुल बाकी नहीं रही। कुछ ऐसे हैं कि जिनमें और कानूनों के पास हो जाने की वजह से या बदल जाने की वजह से कुछ छोटे-छोटे संशोधन करने हैं। उन सब कानूनों की एक फेहरिस्त जो इस कानून के पहले और दूसरे शिडयूल्स हैं उनमें शामिल कर दी गई है और उसकी तफसील दे दी गई है। मेरी राय में ऐसी कोई चीज नहीं है जिस पर किसी किस्म का एतराज किया जा सके। बाज तो ऐसे हैं जैसे पुराने कानूनों में कहीं "डिप्टी कमिश्नर" लिखा हुआ है तो उसकी जगह कलेक्टर कर दिया गया है। इसी तरह से और भी तरमीमें हैं। इसमें कोई नई बातें दाखिल नहीं की गई हैं बल्कि जो पुरानी चीजें थीं जो स्थिति बदलने की वजह से अब उनकी जरूरत नहीं है। इस लिये यह कानून लाया गया है। मेरे खयाल में इस पर किसी को एतराज होने की कोई जरुरत नहीं है। यह विधान परिषद् से पहले ही पास हो चुका है और अब विधान-सभा के सामने विचार के लिये पेश किया जा रहा है।

†श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, यह तो ठीक है कि इसका सम्बन्ध बहुत से ऐक्टों से है। मैं समझता हूं कि यह तरीका अच्छा नहीं है। कई ऐक्टों को एक ही ऐक्ट में लाया जाय तो अच्छा नहीं मालूम होता। अलग-अलग विधेयकों के लिये अलग-अलग संशोधन किये जाते तो ज्यादा अच्छा होता। इस विधेयक को अजीब चों चों का मुरब्बा बना दिय गया है। थोड़ा सा उसमें, थोड़ा सा उसमें और थोड़ा सा उसमें संशोधन करो। यह अच्छी बात नहीं है।

---

*विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक २५ अप्रैल, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।
†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगन्नाथमल्ल]

दूसरी बात जो डिप्टी कमिश्नर का कलेक्टर कर दिया गया है वह तो ठीक है कि एक ही शब्द हो जाना चाहिये क्योंकि एक शब्द न होने के कारण बहुत से लोगों को समझने में बड़ी कठिनता होती थी। जहां डिप्टी कमिश्नर्स होते थे वहां के लोग डी० एम० को नहीं समझ पाते थे और जहां डी० एम० होते थे वहां डिप्टी कमिश्नर को नहीं समझ पाते थे। यह सही है पढ़े लिखे लोग समझ लेते थे लेकिन जो नहीं जानते थे उनके लिये मुश्किल था कि कौन डिप्टी कमिश्नर होता है और कौन डी० एम० होता है। तो यह जो चीज की गई है वह ठीक है। यह सरकार को पहले ही कर देना चाहिये था न मालूम क्यों सरकार इस तरह की चीज इतनी पीरियड तक चलाती रही जिसका कोई मतलब नहीं था और जिससे लोगों को समझने में बड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन और जो किया गया है जैसे कि नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐंड ड्रेनेज, ऐक्ट १८७३; लैन्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट, १९१४; यू० पी० पंचायत राज्य ऐक्ट इस तरह से जितने कानून हैं उन सबों में संशोधन है। अजीब तमाशा है श्रीमन्, आगे भी देखें कि लिखा हुआ है टाउन एरियाज (संशोधन) ऐक्ट, संयुक्त प्रान्त, १९४८; सन् १९४८ का संयुक्त प्रान्तीय आर्म्ड कांस्टेबुलरी ऐक्ट; सन् १९४८ ई० का यूनाइटेड प्राविंसेज टाउन इंप्रूवमेंट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) ऐक्ट; कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (संयुक्त प्रान्त संशोधन) ऐक्ट, १९४९ और हस्तिनापुर नगर विकास मंडल अधिनियम, १९५४। इस तरह से इसमें श्रीमन्, १० ऐक्टों में संशोधन है। पहले रामायण में दशमुख रावण कहा जाता था। उसके दसमुख थे, उसी तरह से आप देखेंगे कि यहां भी दस ऐक्ट ला कर दसमुख बना कर इसको रावण की शक्ल दे दी गई है इस लिये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर कोई ऐसे संशोधन किया करें तो एक ही ऐक्ट में किया करें वह अच्छा रहेगा। दस ऐक्टों में इस तरह से घचड़ पचड़ करने से बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। मैं समझता हूं कि आगे माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की तरफ रहेगा।

श्री सैयद अली जहीर--जहां तक माननीय सदस्य का एतराज है वह सही है। बहुत से कानून.....

श्री जगन्नाथमल्ल--श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आज हाउस एडजर्न कर दीजिये। आपने सवेरे भी कहा था।

श्री उपाध्यक्ष--बिजनेस कमेटी ने इसको आज के लिये रक्खा है। मैं समझता हूं कि हाउस जल्दी ही एडजर्न हो जायगा।

(घंटी बजायी गई और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री सैयद अली जहीर--जैसा मैं आपके सामने अर्ज कर रहा था अगर कोई अहम तरमीमें होतीं तो यह एतराज बिल्कुल सही होता और हर कानून में अगर अहम तरमीम की जाय तो एक अलग कानून की जरूरत होती है। लेकिन जहां तक कि इस कानून का ताल्लुक है, जो पहली शेड्यूल में कानून लिखे हुए हैं वह तो निहायत पुराने हैं और आउट आफ डेट हो गये हैं। इसलिये उनको तो महज कानून की किताब से अलहदा ही कर देना है। उस पर तो कोई एतराज नहीं उठता। जहां तक दूसरी शेड्यूल में तरमीमों का ताल्लुक है वह देखने से मालूम होगा कि महज लफ्जी और ऐसी तब्दीलियां हो गई हैं और अपने आप उसमें तरमीमों की जरूरत पड़ गई है, इस वजह से जो तरमीमें हुई हैं वह की जा रही हैं और हर एक उनमें से छोटी-छोटी तरमीमें हैं। कुछ लफ्ज इधर-उधर बदले गये हैं, कुछ नम्बर बदले गये हैं। तो ऐसी हालत में मेरे खयाल में इस तरह का कानून बराबर आया करता है जिससे बेकार कानून निकाल दिये जाते हैं और छोटी-छोटी तरमीमें कई कानूनों में एक कानून के जरिये से कर दी जाती हैं और इसलिये यह एतराज ज्यादा काबिल गौर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९५६ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २–४

२—प्रथम अनुसूची में उल्लिखित अधिनियम उस अनुसूची के चतुर्थ स्तम्भ में वर्णित सीमा तक एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं ? कतिपय अधिनियमों का निरसन।

३—(१) द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित अधिनियम उस अनुसूची के पांचवें स्तम्भ में वर्णित सीमा तक तथा उसमें वर्णित रीति से एतद्द्वारा संशोधित किये जाते हैं। कतिपय अधिनियमों का संशोधन।

(२) किसी भी अधिनियम में जिले के कार्यपालिका अध्यक्ष (executive head) के रूप में "डिप्टी कमिश्नर" के प्रति किये गये किसी भी निर्देश (reference) का तात्पर्य उस जिले के कलेक्टर से होगा। अपवाद (Savings)।

४—इस अधिनियम द्वारा किये गये किसी भी अधिनियम के निरसन का प्रभाव किसी अन्य ऐसे अधिनियम पर न पड़ेगा जिसमें निरसित अधिनियम प्रयुक्त, निगमित अथवा निर्दिष्ट (applied, incorporated or referred) किया गया हो,

और यह अधिनियम पहले से की गई या हुई (done or sufferred) किसी बात की अथवा पहले से उपार्जित, उत्पन्न अथवा उपगत (acquired, accrude or incurred) किसी अधिकार, आगम, आभार अथवा दायित्व की अथवा तत्संबंधी किसी उपचार या कार्यवाही की, अथवा किसी ऋण, शास्ति, आभार, दायित्व, दावे या मांग से मुक्ति या उसके उत्सर्जन (release or discharge) अथवा पहले से स्वीकृत किसी क्षतिपूर्ति (indeminity) की या किसी अतीत (past) के कृत्य या वस्तु के प्रमाण की बैधता, अवैधता, प्रभाव अथवा परिणाम पर प्रभाव न डालेगा;

और न यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धांत या नियम पर या वकालत, वृत्ति या प्रक्रिया(pleading, practice or procedure) के संस्थापित अधिकार क्षेत्र, प्रकार (form) अथवा दौरान (course) पर, अथवा वर्तमान प्रथा, रीति-रिवाज, विशेषाधिकार, निर्बन्धन (restriction,) विमुक्ति (exemption) पर अथवा नियुक्ति पर ही कोई प्रभाव डालेगा, भले ही वे एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियम द्वारा, में अथवा से, किसी भी रीति से क्रमशः संपुष्ट अभिज्ञात अथवा व्युत्पन्न (affirmed, recognized or derived) हुये हों,

और न इस अधिनियम द्वारा किसी भी अधिनियम के निरसन के परिणाम-स्वरूप किसी भी क्षेत्राधिकार पद, रीति-रिवाज, दायित्व, अधिकार, आगम, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, विमुक्ति, प्रथा, वृत्ति, प्रक्रिया अथवा अन्य किसी विषय अथवा वस्तु, का जो सम्प्रति विद्यमान अथवा प्रवृत्त न हो, पुनः प्रचलन अथवा पुनः प्राप्ति ही हो सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २,३ और ४ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुसूची १ व २

प्रथम अनुसूची

निरसन

(देखिये धारा २)

वर्ष	संख्या	संक्षिप्त शीर्षनाम	निरसन की सीमा
१	२	३	४
१८४५	१	सेल्स आफ लैन्ड फार रेवेन्यू एरियर्स, १८४५	समस्त
१८४७	१	ऐक्ट रिलेटिंग टु बाउन्ड्रीज, १८४७	,,
१८५०	२६	ऐक्ट रिलेटिंग टु इम्प्रूवमेंट्स इन टाउन्स, १८५०	,,
१८६३	१९	ऐक्ट रिलेटिंग टु पार्टीशन आफ रेवेन्यू पेइंग इस्टेट्स, १८६३	,,
१८६८	२४	इनोकुलेशन, कुमायूं ऐंड गढ़वाल, १८६८ ..	,,

द्वितीय अनुसूची

(देखिये धारा ३)

क्रम-संख्या	वर्ष	संख्या	संक्षिप्त शीर्षनाम	संशोधन
१	२	३	४	५
१	१८७३	८	दि नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐन्ड ड्रेनेज ऐक्ट, १८७३।	धारा ३ की उपधारा (६) में शब्द "a Deputy Commissioner or other" के स्थान पर शब्द "an" रख दिया जाय।
२	१८९४	१	दि लैन्ड एक्वीजिशन, ऐक्ट, १८९४।	धारा ३ के खंड (C) में से शब्द "a Deputy Commissioner and" निकाल दिये जायं।
३	१९१४	२	दि यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४।	धारा ९ की उपधारा (३) में शब्द "confirmation by" तथा शब्द "the District Magistrate" के बीच में शब्द "the prescribed authority or if none is appointed" रख दिये जायं।
४	१९४७	२०	दि यू० पी० वेटरिनरी कौंसिल ऐक्ट, १९४७।	(१) धारा ५ में संख्या "36" के स्थान पर संख्या "35" रख दी जाय। (२) धारा २६ की उपधारा (१) में शब्द "from the" तथा शब्द "or otherwise" के बीच में आये हुये शब्द "register" के स्थान पर शब्द "Registrar" रख दिया जाय। (३) धारा ३२ में शब्द "by public" तथा शब्द "local funds" के बीच में शब्द "or" रख दिया जाय।

क्रम-संख्या	वर्ष	संख्या	संक्षिप्त शीर्षनाम	संशोधन
१	२	३	४	५
५	१९४७	२६	दि यू० पी० पंचायतराज ऐक्ट, १९४७।	धारा ९५ की उपधारा (१) क खंड (*a*) (*b*) तथा (*c*) में शब्द "or a Nyaya Panchayat" के स्थान पर शब्द "Committee or a Nyaya Panchayat" रख दिये जायं।
६	१९४८	६	टाउन एरियाज (संशोधन) ऐक्ट, संयुक्त प्रांत, सन् १९४८ ई०।	धारा ६ में शब्द तथा संख्या "दफा १४" हटा दिये जायं।
७	१९४८	४०	१९४८ ई० का संयुक्त प्रांतीय आर्म्ड कान्सटेबुलरी ऐक्ट।	शब्द "प्रांतीय आर्म्ड कान्सटेबुलरी" जहां कहीं भी वे आये हों, उनके स्थान पर शब्द "प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी" रख दिये जायं।
८	१९४८	४७	१९४८ ई० का यूनाइटेड प्राविन्सेज टाउन इम्प्रूवमेंट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) ऐक्ट।	अनुसूची में— (१) धारा ७ के वर्तमान अवस्थानुकूल परिवर्तन (adaptation) को संख्या (१) के रूप में पुनः परिगणित कर दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय: "(२) शब्द "the said sub-section" के स्थान पर शब्द तथा संख्या "sub-section (1) of section 4" रख दिये जायं।" (२) धारा १२ के अवस्थानुकूल परिवर्तनों "adaptations" के वर्तमान खंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय: "(२) उपधारा (३) में शब्द "or elected" तथा "elected or" और प्रतिबन्धक "proviso" निकाल दिये जायं।" (३) धारा ६, ७—ई की उपधारा (२) के प्रतिबन्धक में शब्द तथा संख्या " sub-section (1) " के स्थान पर शब्द तथा संख्या "sub-section(2)" रख दिये जायं।
९	१९४९	८	कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (संयुक्त प्रांतीय संशोधन) ऐक्ट, १९४९।	धारा ३ में वारन्ट के फार्म के पैरा ग्राफ ३ में शब्द "him safely to keep" के स्थान पर शब्द "to keep him safely" रख दिये जायं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	वर्ष	संख्या	संक्षिप्त शीर्ष नाम	संशोधन
१	२	३	४	५
१०	१९५५	१४	हस्तिनापुर नगर विकास मंडल अधिनियम, १९५४ ।	धारा ५ की उपधारा (१) में शब्द "कोष्ठक तथा संख्या धारा ४ की उपधारा (२)" के स्थान पर शब्द "कोष्ठक तथा संख्या "उपधारा (३)" रख दिये जायं ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुसूची १ व २ इस विधेयक का अंग मानी जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन अधिनियम, १९५६ कहलायेगा;

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक तथा प्रस्तावना

कुछ अधिनियमों को निरसित करने तथा कुछ अन्य अधिनियमों को संशोधित करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि कुछ अधिनियम, जिनका प्रायः अब कोई प्रयोग नहीं रह गया है, स्पष्टतः और विशिष्टतः (expressly and specifically) निरसित कर दिये जायं ;

और यह भी इष्टकर है कि कतिपय अन्य अधिनियमों में कुछ संशोधन किये जायं ;

अतएव भारतीय गणतंत्र को सातवें के वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि शीर्षक और प्रस्तावना इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सैयद अली जहीर—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९५६ जैसा कि वह विधान परिषद् से पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री जगन्नाथमल्ल—मैं श्रीमन्, यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर मुझे थोड़ा सा निवेदन करने की इजाजत दे दें । इससे पहले के बिल पर आपने इजाजत दे दी थी ।

श्री उपाध्यक्ष—मेरी कठिनाई यह है कि मैं आपको ११८ नियम के अनुसार इजाजत नहीं दे सकता ।

श्री जगन्नाथमल्ल—आप इतनी तो इजाजत दे ही सकते हैं कि मैं थोड़ा सा निवेदन कर दूं। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जितने सदस्य यहां पर बैठे हुये हैं उनमें कोई बोल नहीं रहा है, वह सब यह चाहते हैं कि यह विधान सभा इसी समय स्थगित हो जाय और वह अपने घर जायं। जनता के धन का इस तरह उपयोग नहीं करना चाहिये। इसलिये मैं इसको गलत काम समझता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—नियम ११८ इस प्रकार है "जब यह प्रस्ताव कि विधेयक विचारार्थ ले लिया जाय सभा ने स्वीकार कर लिया हो और विधेयक में कोई संशोधन न हुआ हो तो विधेयक भार साधक सदस्य तुरन्त ही यह प्रस्ताव कर सकता है कि विधेयक पारित किया जाय और यह प्रश्न बिना किसी विवाद के प्रस्तुत किया जायगा।"

श्री जगन्नाथमल्ल—मुझे तो उतना ही कहना था जो मैंने कहा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९५६, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि समिति ने यही तय किया था और इसके बाद हमको उठने की आवश्यकता है। मैं देख रहा हूं कि यहां कोरम होना भी मुश्किल हो रहा है। इसलिये हम उठते हैं और २२ तारीख को ११ बजे मिलेंगे।

(इसके बाद सदन २ बजकर ३९ मिनट पर बुधवार, २२ अगस्त, १९५६ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
१४ अगस्त, १९५६।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२१ पर)

४४,२६५ रुपया जिन-जिन कामों पर व्यय हुआ है उनकी सूची

क्रम संख्या	कार्य का विवरण		व्यय
	सदर तहसील		रु०
१	सदर लिंक सड़क की मरम्मत ..	..	१,०२९
२	आजमगढ़-गाजीपुर सड़क की मरम्मत (मील सं० ४३)		१,७६३
३	गाजीपुर ब्रांच सड़क की मरम्मत	..	६९८
४	कोटीला-अनबक सड़क और उसकी पुलियों की मरम्मत	..	८,७२१
५	जूनियर हाई स्कूल, सदर (वर्तमान गवर्नमेंट नारमल स्कूल) आजमगढ़ की मरम्मत	..	१,५५७
	कुल	..	१३,७६८
	लालगंज तहसील		
६	देवगांव-मेहनाजपुर सड़क की मरम्मत	..	१९२
७	महानगर-तखा सड़क ..	..	१,१८२
८	देवगांव-जिओली सड़क की मरम्मत ..	..	६२०
९	देवगांव-पशु बाड़ा की विशेष मरम्मत	..	८२४
	कुल	..	२,८१८
	मोहमदाबाद गोहना तहसील		
१०	आजमगढ़-गाजीपुर सड़क (मील सं० २१,२२,२३ और २४ की मरम्मत ..	..	७,३३६
११	जूनियर हाई स्कूल, विरिया कोट की विशेष मरम्मत	..	१,५९१
	कुल	..	८,९२७
	फूलपुर तहसील		
१२	अतरौलिया-अहरौला कच्ची सड़क की पुलियों की मरम्मत	..	६५
१३	दारदाह-दिदार गंज सड़क पर सुहौली पुल की मरम्मत	..	५,३८१
१४	माहुल पवाई कची सड़क के पुलियों का निर्माण तथा मरम्मत ..		१,३५७
१५	दीदार गंज-दीदार गंज रेलवे स्टेशन सड़क पर पुल की मरम्मत तथा पुलिया बनाने के लिये ..	..	९४९
१६	अहरौला-दीदार गंज सड़क की मरम्मत	..	८,६२०
१७	अहरौला डिस्पेंसरी भवन की विशेष मरम्मत	..	२,००९
१८	अहरौला इन्सपेक्शन हाउस की विशेष मरम्मत	..	३७१
	कुल	..	१८,७५२
	ग्रांड टोटल		४४,२६५

विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२९ पर)

झूला पुल

क्रम सं०	जिला	पुल का विवरण	संख्या
१	अल्मोड़ा ..	रामगंगा नदी पर जयनल का पुल, २०० फीट लम्बा	१
		रामगंगा नदी पर रामेश्वर का पुल ..	१
		काली नदी पर धारचुला के समीप पुल ..	१
		भुजगढ़ नदी पर नाचनी के समीप पुल	१
		कालीराव नदी पर नाई ग्राम के समीप पुल ..	१
		रामगंगा नदी पर औनोरी के समीप पुल ..	१
२	गढ़वाल ..	काली नदी पर कालीमठ का पुल	१
		अलकनन्दा नदी पर उमत्ता और सोनला का पुल ..	१
		विभिन्न नदियों पर कच्ची सड़कों के पुलों का पुनः निर्माण	१
		अटागढ़ नदी पर सिरोली का पुल	१
		खोह नदी पर दोगड्डा के समीप पुल	१
		खैरना कर्णप्रयाग मार्ग के दसवें मील में अटागढ़ नदी का पुल	१
३	नैनीताल ..	झूला पुल	६
४	टेहरी ..	भागीरथी नदी पर हृदयारी पुल	१
		यमुना नदी पर नौगांव के समीप पुल	१
		अलकनन्दा नदी का श्रीनगर के समीप पुल (श्रीनगर से ऊपर की ओर)	१
		भागीरथी नदी पर गंगोत्तरी का पुल ..	१
		भागीरथी नदी पर कोटेश्वर का पुल	१
		पंजीन पर लस्टर का पुल	१

बड़े पुल

१	अल्मोड़ा ..	अल्मोड़ा बागेश्वर मार्ग पर गोमती नदी का पुल (१५० फीट दर का)	१
२	गढ़वाल ..	रुद्रप्रयाग-गुप्तकाशी मार्ग पर अलकनन्दा नदी का पुल	१
		कर्णप्रयाग-द्वाराहाट मार्ग पर रामगंगा नदी का पुल	१
		कर्णप्रयाग-द्वाराहाट मार्ग पर अटागढ़ का पुल ..	१
		अगस्त मुनी-गुप्तकाशी मार्ग पर चांदपुरी पुल ..	१
		अगस्त मुनी-गुप्तकाशी मार्ग पर मन्दाकिनी नदी पर कुंड के समीप पुल	१
३	नैनीताल ..	खातिमा-सितारगंज मार्ग पर पुलों का नवीन व पुनः निर्माण	१
४	टेहरी ..	धरासू उत्तर काशी मार्ग पर धरासूगढ़ का पुल ..	१
		लक्ष्मण झूला कीर्तीनगर मार्ग खंड पर पुलों व पुलियों का पुनः निर्माण	१
		भागीरथी नदी पर भलदियाना पुल	१

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३० पर)

जिलों की सूची जहां सूचना विभाग द्वारा सूचना केन्द्रों की स्थापना हुई है :—

आगरा
अलीगढ़
इलाहाबाद
अलमोड़ा
आजमगढ़
बहराइच
बलिया
बनारस
बांदा
बाराबंकी
बरेली
बस्ती
बिजनौर
बदायूं
बुलन्दशहर
देहरादून
देवरिया
एटा
इटावा
फैजाबाद
फर्रुखाबाद
फतेहगढ़
लखनऊ
गढ़वाल
गाजीपुर
गोंडा
गोरखपुर
हमीरपुर
हरदोई
जालौन
जौनपुर
झांसी
कानपुर
मैनपुरी
मेरठ
मिर्जापुर
मुरादाबाद
मुजफ्फरनगर
मथुरा
नैनीताल
पीलीभीत
प्रतापगढ़
रायबरेली
रामपुर
सहारनपुर
शाहजहांपुर
सीतापुर
सुल्तानपुर
टेहरी—गढ़वाल
उन्नाव
खीरी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश के एन० ई० एस० क्षेत्रों में खोले गये सूचना केन्द्रों की सूची

क्रमांक	जिले का नाम	जिस तिथि को क्षेत्र खोले गये						
		२-१०-५३	२६-१-५४	२-१०-५४	२६-१-५५	२-१०-५५	२६-१-५६	१-४-५६
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	आगरा	* बाह	* खेरागढ़	..	..	..	बिचपुरी	फतेहाबाद
२	अलीगढ़	..	* टप्पल	..	हसियान	जवान सिकन्दरा-पुर	..	..
३	अल्मोड़ा	तारीखेत	..	..	१-मल्लीपोखरी २-हवलबाग	धारचूला	..	पिठौरागढ़
४	इलाहाबाद	* कोराओं	कड़ा चैलखास	..	..	..	करछना बहादुर-पुर	..
५	आजमगढ़	..	..	..	लालगंज	दोहरीघाट	..	..
६	बुलन्दशहर	..	* ऊंचगांव	बुलन्दशहर	दनकौर	..	..	..
७	बांदा	* महोवा	..	मानिकपुर	मऊ	..	..	..
८	बिजनौर	..	अफजलगढ़	*कोतवाली	..	जलीलपुर	..	..
९	बरेली	..	भोजीपुरा	..	मजगवां	फरीदपुर	..	..
१०	बदायूं	..	..	..	आसफपुर	..	बजरगंज	..
११	बहाराइच	..	* कैशरगंज	..	सिरसिया	मेहीनपुरवा	..	..
१२	बस्ती	भनवांपुर	..	..	हैनसरबाजार	..	..	..
१३	बाराबंकी	..	रामनगर	..	१-रुदौली २-मसौली	..	..	..
१४	बनारस	..	*अरजी लाइन्स	..	काशी विद्यापीठ	..	..	..
१५	बलिया	..	..	..	गरवार	वैरौरवारी	..	..

* चिन्हित स्थान २६-१-५६ से पूर्णतया विकास खंडों में परिवर्तित कर दिये गये हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश के एन० ई० एस० क्षेत्रों में खोले गये सूचना केन्द्रों की सूची

क्रमांक	जिले का नाम	जिस तिथि को क्षेत्र खोले गये						
		२-१०-५३	२६-१-५४	२-१०-५४	२६-१-५५	२-१०-५५	२६-१-५६	१-४-५६
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१६	देहरादून	..	..	..	डोईवाला	..	कलसी	..
१७	देवरिया	..	*कैपटनगंज	..	..	..	..	..
१८	एटा	..	..	..	आवागढ़	..	कासगंज	..
१९	इटावा	..	..	..	..	..	..	..
२०	फतेहपुर	..	बहुवा	..	मलवन	..	बजईपुर	..
२१	फैजाबाद	..	..	..	जलालपुर	मसवधा	..	..
२२	फर्रुखाबाद	..	..	..	उमारदा	..	राजेपुर	..
२३	गढ़वाल	..	*द्वारीखेत	..	..	पैलखंडा हेड-क्वार्टर जोशीमठ	झलीशान (राथ)	..
२४	गोंडा	..	इटियाठोक	..	मनकापुर	पारसपुर	..	..
२५	गोरखपुर	..	*निचलौल	..	..	चिरगवां	..	..	बसगांव
२६	गाजीपुर	..	..	..	गाजीपुर टी० ई० पी०	देवकली	..	..	..
२७	हमीरपुर	..	*मौदहा	..	गोंहन्द	..	..	सुमेरपुर	..
२८	हरदोई	..	*बिलग्राम	..	कौधा	सन्दी	..	..
२९	झांसी	..	..	चिरगांव	जखोरा	..	..	महरौली
३०	जालौन	..	*एट	कुठौंद	..	..	कदौरा	..
३१	जौनपुर	..	*बादशाहपुर	..	डोभी	रामपुर	..	..
३२	कानपुर	..	घाटमुपुर	अमरौधा	कल्यानपुर	..	अकबरपुर	..
३३	लखीमपुर खीरी	..	*वेहजन	निघासन	..	मितौली	..	..
३४	लखनऊ	..	*सरोजनीनगर गोसाईंगंज	बक्सीका तालाब	..	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

३५	मुजफ्फरनगर	..	..	..	पुरकाजी	..	ऊन	..	भूकाखेरी	..
३६	मेरठ	..	..	*लोनी	..	..	बिनौली	पिलाना	..	..
३७	मथुरा	..	..	..	गोवर्द्धन	..	मथुरा	नौवजील	..	..
३८	मैनपुरी	..	..	..	..	..	मदनपुर	..	इका	..
३९	मुरादाबाद	..	..	.	जोया	ठाकुरद्वारा	..	अमरोहा	..	..
४०	मिर्जापुर	..	..	..	..	..	हलिया	..	रोबर्स्टगंज	..
४१	नैनीताल	..	..	खटीमा	*ओखालखंड	रुद्रपुर	..	..	..	..
४२	पीलीभीत	..	..	..	लालुरीखेरा	..	पूरनपुर	..	विसालपुर	..
४३	प्रतापगढ़	..	..	..	लछमनपुर	..	आसपुर देवसरा	भवानीगंज कोटा	..	..
४४	रामपुर	..	..	..	सैदनगर	..	विलासपुर	..	सौर	..
४५	रायबरेली	..	..	..	सलून	..	हरचन्दपुर	..	महाराजगंज	..
४६	सहारनपुर	..	..	..	..	मुजफ्फराबाद	..	गंगोह	..	..
४७	शाहजहांपुर	..	..	..	..	..	कन्थ	..	खुतार	..
४८	सीतापुर	..	..	..	हरगांव	बेहटा	..	..	सिधौली	..
४९	सुल्तानपुर	..	..	..	..	..	गौरीगंज	..	..	..
५०	टेहरीगढ़वाल	..	..	..	..	*नौगांव	..	टंकोरी हेड-क्वार्टर, हटवारी	जौनपुर	..
५१	उन्नाव	..	..	..	नवाबगंज	..	फतेहपुर	सुमेरपुर	..	..

*चिह्नित स्थान २६-१-५६ से पूर्णतया विकास खंडों में परिवर्तित कर दिये गये हैं।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१५८ एल० ए०—१९५६—७९६।

उत्तर प्रदेश विधान सभा